सप्तदश माला, खंड 19, अंक 4 **गुरुवार, 21 जुलाई, 2022**

30 आषाढ़, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

(खंड 19 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

उप निदेशक
राजेन्द्र सिंह

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 19, नौवां सत्र, 2022 / 1944 (शक)

अंक 4, गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 / 30 आषाढ़, 1944 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	10-29
*तारांकित प्रश्न सं 61 से 64, 67, 69 और 73	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	30
तारांकित प्रश्न सं 65, 66, 68, 70 से 72 और 74 से 80	
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित+ चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

31-37

सरकारी आश्वासन संबंधी समिति

62वें से 67वां प्रतिवेदन 38

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

170वें से 172वां प्रतिवेदन 39

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति

365वां प्रतिवेदन 40

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति 41

117वां प्रतिवेदन

मंत्री द्वारा वक्तव्य 42-44

(एक)(क) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 276वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी समिति के 281वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 42

(ख) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 291वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 43

(ग) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 291वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी समिति के 302वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 44

जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के. सिंह

नियम 377 के अधीन मामले 59-82

(एक) जल जीवन मिशन से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देशों का संशोधन करने की आवश्यकता

डॉ. हिना विजयकुमार गावित 59-60

(दो) छत्तीसगढ़ में किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया और डी.ए.पी. उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अरूण साव 61

(तीन) देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा 62

(चार) राजस्थान के उदयपुर में हाल ही में हुई आतंकवादी गतिविधि और राज्य में आतंकवादी संगठन के बढ़ते हुए नेटवर्क के बारे मे

श्री अर्जुन लाल मीणा 63

(पांच) नांदेड़-बीदर रेलवे लाइन परियोजना के बारे में

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर 64

(छह) 'मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी' को 'अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस' के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती केशरी देवी पटेल 65

(सात) राजस्थान के जालौर जिले में बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए सुविधाओं में वृद्धि किए जाने के बारे में

श्री देवजी पटेल 67

(आठ) हरियाणा के अम्बाला में वैज्ञानिक उपकरण उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री रतन लाल कटारिया 68

(नौ) पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्रीमती जसकौर मीना 69

(दस) बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 70

(ग्यारह) अनुसूचित जनजातियों की सूची में उत्तर प्रदेश के बंजारा समुदाय को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सुब्रत पाठक 71

(बारह) हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी और एन.डी.आर.आई., करनाल में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की पहल के बारे में

श्री संजय भाटिया 72

(तेरह) सी.सी.आई.एल. कुरकुंता के त्वरित विनिवेश के बारे में

डॉ. उमेश जी. जाधव 73

(चौदह) राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में

सुश्री दिया कुमारी 74

(पंद्रह) वस्त्र पी.एल.आई. योजना में प्राकृतिक फाइबर को शामिल किए जाने के बारे में

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ 75-76

(सोलह) अमृत 2.0 योजना (सीडब्ल्यूएपी) के अंतर्गत नगर जल कार्य योजना की स्वीकृति के बारे में

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित 76

(सत्रह) नवोदय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलेश्वर कामैत 77

(अठारह) कोविड-19 महामारी के कारण जिन रेलगाड़ियों का प्रचालन बंद कर दिया गया था उन्हें पुनः शुरू करने की आवश्यकता

श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया 80

(उन्नीस) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की जनता की बिजली संबंधित शिकायतों के निवारण के बारे में

श्री रमेश बिधूड़ी 81-82

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 83-84

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 / 30 आषाढ़, 1944 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर†

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 61 - श्रीमती पूनम महाजन।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, डॉ. थोल थिरुमावलवन डॉ. टी. सुमति ए तामिझाची थंगापंडियन, श्री हिबी ईडन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्नकाल के बाद।

... (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 61)

[हिन्दी]

श्रीमती पूनम महाजन: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर के रूप में मुझे यह समझ आया है। ... *(व्यवधान)*

---

† **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल के बाद।

... *(व्यवधान)*

श्रीमती पूनम महाजन: वर्ष 2021 में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने, हम कैसे अपने आप को फॉजिल फ्यूल पर डिपेंडेंट न रखते हुए आने वाले समय में ... *(व्यवधान)* नौ साल पहले ही हमने फॉजिल फ्यूल से 40 प्रतिशत, फॉजिल फ्यूल के अलावा जो ऑल्टर्नेटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को लेकर हमने मिक्सचर किया है। ... *(व्यवधान)*

हमने यह बहुत अच्छी उपलब्धि की है, लेकिन मैंने सवाल स्कूलों के बारे में पूछा था। ... *(व्यवधान)* मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूँ कि आपने महाराष्ट्र के बारे में जवाब दिया, लेकिन पूरे देश भर के लिए क्या हमारे पास ऐसी इंटिग्रेटेड पॉलिसी है? ... *(व्यवधान)* आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी से हो सकता है, एमपी-एमएलए के फंड्स से हो सकता है, लेकिन हमें बहुत सारे काम हैं। ... *(व्यवधान)* क्या हम एक ऐसी इंटिग्रेटेड पॉलिसी बना सकते हैं, जिससे पूरे देश भर में हम हर स्कूल को क्लीन एनर्जी दे पाएं? ... *(व्यवधान)*

मैं मुंबई से आती हूँ, हमारे यहां पूरे समय बिजली होती है, लेकिन आप गांवों-पहाड़ों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ छोटे-छोटे स्कूल्स होते हैं। ... *(व्यवधान)* मैंने राजकोट में देखा है, जींद में देखा है। ... *(व्यवधान)* कुछ-कुछ ऐसी जगहें हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद काम करके स्कूलों में सोलर पैनल्स लगाता है। ... *(व्यवधान)* क्या हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ टाईअप करके यह काम कर सकते हैं?

श्री भगवंत खुबा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की चिंता है कि स्कूल्स को जो पॉवर मिलनी है, वह उचित मिले और सही गुणवत्ता में मिले। ... *(व्यवधान)* आज के दिन में, मार्च, 2020 तक भारत सरकार ने उस स्कीम को आर्टिजन्स के ऊपर चलाया था। ... *(व्यवधान)* आज के दिन में वह वाइबल हो गई है, उनके इनवेस्टमेंट की उनको केवल दो सालों के अंदर रिटर्न मिल जाती है। ... *(व्यवधान)* आज के दिन में भारत सरकार की स्कूल्स के ऊपर या कमर्शियल क्षेत्र के ऊपर कोई स्कीम नहीं चल रही है। ... *(व्यवधान)*

श्रीमती पूनम महाजन: अध्यक्ष जी, मैं इस सवाल के साथ एक सुझाव देना चाहती हूँ।... *(व्यवधान)* जैसा हमने सोचा है कि कॉप-21 से कॉप-26 में पंचामृत नॉन फासिल फ्यूल के रूप में काम करना है। रेलवे भी वर्ष 2030 हम जीरो एमिशन करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं।... *(व्यवधान)* नागपुर में जब हमारे मंत्री बावनकुले थे, तब उन्होंने सोचा था कि कैसे तीन सौ स्कूलों में सोलर पैनल से काम किया जाए।... *(व्यवधान)* हम हर समय इंटेग्रेटेड डिजिटल क्लास रूम के बारे में बात करते हैं लेकिन हम बिजली के बिल नहीं चुका सकते हैं इसलिए क्लास रूम का ज्यादा यूज नहीं होता है।... *(व्यवधान)* आज के समय में हमें इंटेग्रेटेड डिजिटल क्लास रूम के लिए सोलर पैनल की बहुत जरूरत है। मैं सुझाव देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार एजुकेशन मिनिस्ट्री और रिन्युएबल एनर्जी मिनिस्ट्री से बात करके इलेक्ट्रिसिटी क्लीन एनर्जी के लिए स्कूलों में अच्छी शिक्षा के लिए इंटेग्रेटेड डिजिटल क्लास रूम्स और अच्छे टायलेट्स देने के लिए क्या सोलर पैनल से कनेक्टेड कर सकते हैं? ... *(व्यवधान)*

श्री भगवंत खुबा: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता किसी अन्य योजना से स्कूलों में सोलर पैनल लगाने की है।... *(व्यवधान)* ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री और उनकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंगों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए अच्छी स्कीम्स लागू करने का हमारा प्रयास चल रहा है।... *(व्यवधान)*

श्री रामशिरोमणि वर्मा: महोदय, क्या मंत्री जी सदन को बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में कम्पोजिट विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सौर विद्युत पैनलों को लगाने की कोई योजना है या सरकार विचार कर रही है कि पढ़ने वाले बच्चों को लाइट तथा पंखे की सुविधा मिल सके और बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें।... *(व्यवधान)*

श्री भगवंत खुबा: अध्यक्ष जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई ऐसी स्कीम आज के दिन नहीं चल रही है।... *(व्यवधान)*

श्री दुष्यंत सिंह: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में ओक्सफैम की रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा था कि 4.6 परसेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सैंटर्स को बिजली नहीं मिलती है**।...**

(व्यवधान) कल इकोनॉमिक टाइम्स में आया कि सैंट्रल, पब्लिक इंटरप्राइजेज को सोलर पैनलों की खरीद में छूट देंगे। क्या प्राइमरी हेल्थ केयर सैंटर्स को सोलर पैनलों के द्वारा बिजली देने के लिए आपका कोई प्रावधान है? ... *(व्यवधान)*

श्री भगवंत खुबा: अध्यक्ष जी, हमने रूफटॉप सोलर योजना में ऑलरेडी पिछली पालिसी को और सिम्पलीफाई कर दिया है।... *(व्यवधान)* एग्जिस्टिंग स्टेट लेवल पोर्टल को हटाकर नेशनल रिन्युएबल पोर्टल पर एप्लाई करने को कहा है।... *(व्यवधान)* पहले सिर्फ एम्पैनल्ड वेंडर्स थे, लेकिन इस योजना को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन हमने 'सिलेक्ट एनी वेंडर' का प्रावधान किया है।... *(व्यवधान)* हमने डिस्कॉम एप्रूवल के टाइम पर ही बिजली देने का एप्रूवल किया है और वेंडर्स टू पार्टिसिपेट इन बिडिंग था, इसे हमने और आसान किया है कि वेंडर केवल 2.5 लाख रुपये पे करेगा और गारन्टी को रजिस्टर किया है। सेंट्रल फाइनेंशियल एसिस्टेंस टू वेंडर – सीएफए के माध्यम से अभी कस्टमर को डायरेक्ट दिया है।... *(व्यवधान)* वैसे भारत सरकार और हमारा मंत्रालय डायरेक्टली किसी को नहीं देता है, लेकिन हमारी पॉलिसी के अंतर्गत उनको सारी सुविधाएं हमने प्रोवाइड कर दी हैं और उसको सेंट्रल फाइनेंशियल एसिस्टेंस मिल सकती है। धन्यवाद।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी) : महोदय, विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और अन्य दल, मूल्य वृद्धि पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। (*व्यवधान*) [हिन्दी] हमने कल बताया और आपने भी स्वयं अपनी चेयर से बताया। दूसरे हाउस में भी चेयर से बताया गया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ... *(व्यवधान)* श्रीमती निर्मला जी का स्वास्थ्य ठीक होते ही, उनके आने के बाद जब आप बी.ए.सी. में निर्णय करेंगे, तो हम प्राइस राइज़ पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।... *(व्यवधान)* यही लोग कह रहे थे कि हमें प्राइस राइज़ पर चर्चा चाहिए। ... *(व्यवधान)* हमने 'हां' कह दिया है, तो फिर अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? क्या ये लोग सदन चलाना चाहते हैं या नहीं? जिसके लिए ये अभी तख्तियां लेकर आए हैं, उस संबंध में मैं यह

पूछना चाहता हूँ कि क्या कानून के समक्ष सब समान हैं या नहीं? … *(व्यवधान)* यदि वह कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, तो क्या सुपर ह्यूमन बीइंग हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कानून उनके लिए नहीं है? … *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही साढ़े ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>पूर्वाह्न 11.11 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>पूर्वाह्न 11.31 बजे</u>

लोकसभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर...जारी

(अनुवाद)

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या 62 और 69 को एक साथ लिया गया है।

श्री प्रद्युत बोरदोलोई	उपस्थित नहीं।
डॉ. राजदीप राय	उपस्थित नहीं।

कुमारी गोड्डेति माधवी

… (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 62 और 69)

श्री टी.आर. बालू: महोदय, यह क्या है? … (*व्यवधान*)

सरकार उत्तर नहीं दे रही है। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कृपया प्रश्न और उत्तर सुनें।

… (*व्यवधान*)

कुमारी गोड्डेति माधवी: महोदय, गोदावरी नदी में हाल ही में आई बाढ़ के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को प्रत्याशित मुसीबत का सामना करना पड़ा उन्हें स्वयं को बाढ़ से बचाने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा। (*व्यवधान*) क्या मंत्री महोदय हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित राज्य में आदिवासी समुदायों के ऐसे लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों की जानकारी दे सकते हैं? … (*व्यवधान*)

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं सरकार से स्पष्ट जवाब चाहता हूं। ...(*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.32 बजे</u>

इस समय पर, श्री टी. आर. बालू, श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: महोदय, माननीय सदस्य ने हाल ही में जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के कारण गोदावरी नदी में आई बाढ़ की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है। भारत सरकार को जानकारी है कि सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला गया है या उन्हें अपनी जान और आजीविका को बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा । मुख्य रूप से, राज्य सरकार द्वारा राहत संबंधी उपाय किए जाने हैं।

भारत सरकार वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के माध्यम से राज्यों को एस.डी.आर.एफ. अनुदान के तहत और, यदि वांछित और आवश्यक हो, एन.डी.आर.एफ. अनुदान के तहत धन आवंटित करती है। वह अनुदान राज्यों के पास उपलब्ध है। मुख्य रूप से राज्यों को ऐसे उपाय करने होंगे। यदि राज्य चाहेगा, तो भारत सरकार सहायता देने के लिए तैयार है।

(हिन्दी)

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मंत्री जी का जो जवाब है, उसमें सबसे अलार्मिंग जो है, वह मेरा राज्य है, वह पैसे का यूज ही नहीं कर रहा है। न पैसा जा रहा है, न पैसे का यूज कर रहा है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वह काम नहीं करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से प्रश्न है कि कई ऐसे राज्य हैं, जहाँ बालू का अवैध उत्खनन होता है। जो डैम बने हुए हैं, वहाँ सिल्टिंग हो गई है, लेकिन उसकी सिल्टिंग भी दूर नहीं हो रही है। जो रिवर्स हैं, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ जो ड्रेन करना है, वह भी सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि स्टेट के ऊपर यह सारा कुछ निर्भर है और केंद्र सरकार पैसा देती है, लेकिन राज्य सरकारें खर्चा नहीं करती हैं, जैसा मैंने अपने झारखंड राज्य का उदाहरण दिया है। क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी है, जिसके आधार पर वह यह पता कर सके कि कौन-कौन राज्य ये काम नहीं करना चाहते हैं और फिर भी फ्लड आता है? प्रत्येक साल फ्लड के कारण भारी नुकसान होता है और अल्टिमेटली केंद्र सरकार को पैसा देना पड़ता है। हमारी सरकार लगातार 8 वर्षों से इन चीजों से जूझ रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार के पास इसकी क्या पॉलिसी है? धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय सदस्य का दर्द समझ सकता हूँ और उन्होंने अपना दर्द जो शब्दों में बयान किया है, जो शब्दों के पीछे भी है, मैं उन सब के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में जो राज्य सूची के विषय हैं, उन पर भारत सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए प्रारंभिक तौर पर राज्यों को ही इस विषय में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हम बार-बार राज्य सरकारों को इस विषय में आग्रह करते हैं, उनको एडवाइजरी भेजते हैं, उनको चिट्ठी भेजते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं और उनसे बार-बार इस बारे में अनुरोध करते हैं कि जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स तथा स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, दोनों फ्लड मिटिगेशन है, उस पर काम करें। हमने झारखंड राज्य को भी और अन्य

राज्यों को भी इसके बारे में कहा है कि वह फ्लड-प्रोन जोनिंग पर काम करें। इस बारे में बार-बार आग्रह किया गया है, ताकि प्रत्येक वर्ष होने वाली इस तरह की आपदा से नुकसान को रोका जा सके और लोगों के कष्ट को कम किया जा सके। मैं निश्चित ही माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारे आग्रह में कहीं कमी नहीं होगी। लेकिन, अंतत: इस तरह की व्यवस्थाओं को करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को ही प्राथमिकता के साथ इस पर काम करना पड़ेगा।

माननीय सभापति: श्रीमती रमा देवी - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

श्रीमती लॉकेट चटर्जी: महोदय, पश्चिम बंगाल के हुगली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बालागढ़ विधानसभा क्षेत्र काफी लंबे समय से विखंडन की समस्या का सामना कर रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र के कई इलाके इस समस्या से जूझ रहे हैं। मगरा ब्लॉक में 300 मीटर से अधिक जमीन धँसने से 80 परिवारों व अन्य समेत करीब 700 लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं।

माननीय मंत्री से मेरा यह प्रश्न है। केन्द्र सरकार गंगा के कटाव को रोकने तथा इस क्षेत्र में नदी तट बनाने के बारे में क्या सोच रही है? इस विधानसभा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में कई लोग लंबे समय से इस कटाव की समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे चंद्रहाटी 1,2 पंचायत, नित्यानंदपुर 1,2 पंचायत, डुमुर्दा, खमरगाछी, सोमरा बाज़ार, जीरत, गुप्तीपारा में भी यही कटाव की समस्या है। क्या केंद्र सरकार के पास इन सभी क्षेत्रों में कटाव की समस्या का उन्मूलन करने के लिए कोई बड़ी योजना है?

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार तटबंधों के टूटने और उनके इरोज़न के कारण होने वाली चुनौतियों से अवगत है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर

राज्यों सरकारों के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने का काम करती है। अब तक भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश इन सारी गतिविधियों में किया है। प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारें अपनी डीपीआर बनाती है और डीपीआर बना कर भारत सरकार के पास भेजती है। पश्चिम बंगाल सरकार से आने वाली इस तरह की सभी डीपीआर पर हम विचार करेंगे। भविष्य में भी सरकार की जो नीतियां, पॉलिसी या स्कीम है, उसके तहत जो भी कुछ सहयोग भारत सरकार को करना है, वह निश्चित रूप से करेगी।

डॉ. संजय जायसवाल: माननीय सभापति महोदय, असम और बिहार की जो प्रॉब्लम है, वह बिल्कुल अलग है। हमारे यहां जो नदियां आती हैं, वह दूसरे देश से आती हैं। जैसे नेपाल से आती है, तो ऊपर कब डैम्स बनेंगे, कब उनका पानी रोका जाएगा, यह तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हर साल बिहारवासी और खास कर अगर हम बूढ़ी गंडक की बात करें तो हर साल हम इसका दु:ख भोगते हैं तथा हमारे पूरे इलाके में बाढ़ का पानी फैलता है। कहीं पर विभिन्न कारणों से उस नदी का फ्लैश फ्लड आता है, तो नेपाल में बह जाते हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न होगा कि क्या चंपारण और बूढ़ी गंडक की नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जिस प्रकार गंडक नदी पर एक डैम बना कर गंडक नदी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लिया गया है, वैसे ही बूढ़ी गंडक की जो सब्सिडियरी रिवर्स हैं, यह ठीक है कि वे नेपाल में हैं।

लेकिन बूढ़ी गंडक की सब्सिडियरी रिवर्स जैसे बंगरी, सिरिस्वा और मसान नदियां हैं। उन सभी पर जो नेपाल से एंटर करती हैं, उन जगहों पर माइक्रो डैम्स बनाए जाएं और खास कर चम्पारण में क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि को बढ़ावा देकर हम किस तरह से चंपारण को बाढ़ से रोक सकते हैं? क्या इसके लिए भारत सरकार के पास कोई योजना है या नहीं है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति जी, यह सही है कि नेपाल में होने वाली बरसात के कारण बिहार में बाढ़ जैसी परिस्थिति बनती है। बिहार में एक बूंद बरसात भी न गिरे, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया है कि वहाँ बाढ़ आती है। बाढ़ उत्तर प्रदेश में भी आती है। सदस्य ने

प्रिडोमिनेंटली बिहार के विषय में पूछा है, क्योंकि बिहार के लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी ऐसी परिस्थिति बनी थी। बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा इन नदियों में इस तरह की परिस्थिति हर बार देखने में आती है। नेपाल सरकार के साथ, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारी वार्ता बांध बना कर वहाँ परमानेंट इस तरह के मेज़र्स क्रिएट किए जाएं, ताकि उनके माध्यम से एक फ्लड कुशन के रूप में बांधों का उपयोग करते हुए हम बाढ़ की स्थिति पर काबू पा सकें। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय विषय है और इस विषय पर अभी मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन, इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ हमने फ्लड फोरकास्टिंग का एक सिस्टम डेवल्प किया है। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हम पहले 24 घंटे की फ्लड फोरकास्टिंग करते थे, अभी हमने नेपाल और भारत और भारत के दूसरे पड़ोसी देशों के साथ, जहाँ से, जिस कैचमेंट एरिया से हमारी नदियों में पानी आता है, उन देशों क साथ हमने अंडरस्टेंडिंग डेवल्प कर के और उनके साथ आईएमडी डेटा बेस्ड 5 दिन का फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम हमने डेवल्प किया है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आज जो सबसे बेहतरीन एडवांस फोरकास्टिंग सिस्टम है, उसी की तर्ज पर, उसी की लाइन पर, उतनी ही व्यवस्थित क्षमता हमने भारत में भी विकसित की है, ताकि अगर हम फ्लड को न रोक सकें, बेशक, लेकिन उसके कारण से आने वाली चुनौतियां, उसके कारण से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। उस पर काम कर रहे हैं। बांध बनाने का जहाँ तक विषय है, छोटे बांध बना कर के बाढ़ पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, यह निश्चित रूप से विवाद का विषय हो सकता है, डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन, जो बड़े बांध बनाने की योजना पहले से विचाराधीन है, उस पर हम नेपाल सरकार के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं।

श्री सुनील कुमार पिन्टू: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी डॉ. संजय बाबू ने कहा कि नेपाल में बारिश होती है और उसकी वजह से बाढ़ हम बिहारवासियों को झेलनी पड़ती है। हमारे बिहार में अभी सुखाड़ की स्थित है,

बारिश कम हुई है। मेरे संसदीय क्षेत्र में, माँ जगत जननी सीता की प्रकटस्थली सीतामढ़ी की बहुत सारी नदियां जो नेपाल से आ कर सीतामढ़ी हो कर पास करती हैं। जहाँ पर आपके बांध का निर्माण हो रहा है, जिसकी कार्यगति बहुत धीमी है। जिसके कारण अभी मेजरगंज रशलपुर में नदी की धारा मुड़ जाने से करीब 10-20 घर विस्थापित हो गए हैं।

अगर नेपाल के बॉर्डर तक बांध बन चुके हैं और उनके बांध को हम इंडिया में पूरी तरह बढ़ाते हुए, रेलवे लाइन तक अगर बना लेते हैं, ढाई किलोमीटर जो आपके यहां सैंक्शन होने के लिए पड़ा हुआ है, तो हम सैंकड़ों घरों को विस्थापित होने से और अनेकों गांवों को विस्थापित होने से बचा सकते हैं। जो यह बांध बनता है, उसके ऊपर अगर हम सड़क बना दें तो एक तो आवागमन की भी सुविधा होगी और बांध की संभावना भी कम होगी। … *(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जिले की योजनाएं हैं, वे कब से कब स्वीकृत होंगी और कितनी जल्दी उनको बाढ़ से मुक्ति के लिए बांधों का निर्माण आप करा रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सदस्य ने बांध के विषय में बात कही है, मुझे लगता है कि उनका अभिप्राय तटबंध को ले कर है, एमबैकमेंट को ले कर है। नेपाल सरकार के साथ हमारा जो समझौता है, हम अपने यहां से फंडिंग कर के भी उनके क्षेत्र में इस तरह के तटबंधों को स्ट्रैंथन करने, निर्माण करने की दिशा में फंडिंग कर के काम करते हैं। बिहार सरकार ने इस तरह का प्रपोजल यदि कोई भेजा है तो वह किस स्तर पर लंबित है, इसकी जांच कर के माननीय सदस्य को इसके बारे में निश्चित रूप से सूचित करेंगे।

माननीय सभापति: श्रीमती भावना गवली (पाटील) - उपस्थित नहीं।

श्री अरविंद सावंत – उपस्थित नहीं। श्री प्रतापराव जाधव – उपस्थित नहीं।

श्रीमती संगीता आजाद जी।

(प्रश्न संख्या 63)

श्रीमती संगीता आजाद: सर, आज पूर्वांचल के सभी जिले, जिसमें मेरा जिला आज़मगढ़ भी आता है, सूखे की मार झेल रहा है। माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षी योजना, भारतवर्ष की सभी नदियों को जोड़ने की थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस योजना पर कोई काम चल रहा है? यदि चल रहा है तो अब तक यह कितना पूरा हुआ है?

मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि भारत सरकार, राज्य सरकार को निर्देशित करे कि आज़मगढ़ की नहरों में, अनुपात में, जो बहुत कम पानी छोड़ा जा रहा है, उसे पूरा किया जाए, ताकि कम से कम वहाँ के किसान सिंचाई कर सकें और धान की रोपाई कर सकें।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: सभापति महोदय, हालाँकि माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, उसका मूल प्रश्न - 63 से कहीं कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन, चूंकि माननीय सदस्या ने पूछा है तो मैं अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कह सकता हूँ कि श्रद्धेय अटल जी के समय में जो कल्पना की गई थी कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जाए, तो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से उस पर काम हुआ था। आदरणीय नितिन गडकरी जी यहां बैठे हैं।

इनके समय में जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के 31 लिंक्स आइडैंटिफाई किए गए थे, जहाँ सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सकता है, उन 31 लिंक्स की डी.पी.आर. भी बनी है, पी.एफ.आर. भी बनी है और उसके बाद राज्यों के पास आपसी समझौते के लिए उन सारे लिंक्स की फाइल्स पेंडिंग है।

महोदय, मैं अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कह सकता हूँ और इस पटल पर खड़े होकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन दोनों ने केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का जो उपक्रम था, जो लिंक था, उस पर दोनों राज्यों ने आपसी सहमति स्थापित की। भारत सरकार के साथ उसका ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हो गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में

माननीय वित्त मंत्री जी ने उस 44,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को न केवल सैंक्शन किया है, अपितु पिछले बजट में उसके ऊपर 4,400 करोड़ रुपये सैंक्शन भी किए हैं। यह केवल एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, बल्कि यह देश में एक नई शुरुआत की तरफ इंगित करता है।

मैं मानता हूँ कि इससे प्रेरणा लेकर बुंदेलखण्ड के जीवन में जो परिवर्तन आएगा, उसे देखकर अन्य राज्य भी प्रेरणा लेंगे। राज्यों का जो आपसी समझौता होगा, उसके आधार पर हम बाकी बचे हुए लिंक्स को पूरा कर पाएंगे। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ हर साल बाढ़ आती है और हर साल सूखा पड़ता है, इन दोनों की समस्याओं का समुचित समाधान, समग्र समाधान और लम्बे समय तक के लिए समाधान करने में हम सफल हो पाएंगे।

[अनुवाद]

श्री मारगनी भरत: धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। यह पोलावरम परियोजना के बारे में है। पोलावरम परियोजना के स्पिलवे से लगभग पचास लाख क्यूसेक पानी का प्रवाह होता है। लेकिन हाल ही में आई बाढ़ के कारण बैकवाटर स्पिलवे क्षेत्र में जमा हो गया। पोलावरम परियोजना के स्पिलवे से जल प्रवाह होने के बाद सीधे डौलेश्वरम बैराज में जाता है और उसके बाद समुद्र में चला जाता है। डौलेश्वरम बैराज का निर्माण सर आर्थर थोमस कॉटन द्वारा किया गया था। डौलेश्वरम बैराज की क्षमता लगभग छत्तीस लाख क्यूसेक जल की है। पोलावरम परियोजना के स्पिलवे से लगभग पचास लाख क्यूसेक जल का प्रवाह होता है और अगली परियोजना से लगभग छत्तीस लाख क्यूसेक जल प्रवाह का है। इसके कारण गाँव और द्वीप जलमग्न हो जायेंगे। क्या डौलेश्वरम में अन्य परियोजना बनाने का कोई प्रावधान है? स्पिलवे से छोड़े जाने वाला पानी लगभग पचास लाख क्यूसेक है और डौलेश्वरम परियोजना से छोड़े जाने वाला पानी लगभग छत्तीस लाख क्यूसेक है जो कि बहुत कम है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस पर विचार करने का कोई प्रावधान है?

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: महोदय, गोदावरी नदी में वर्तमान में जिस डिस्चार्ज के कारण बैकवाटर्स की जो चुनौती खड़ी हुई है और उसके कारण जो डैमेजेज रजिस्टर हुए हैं, जो लोअर कॉफरडैम के कुछ हिस्से में जो ब्रीचेज हुए हैं तो मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उस पर हम निरन्तर दृष्टि बनाए हुए थे। हमने राज्य सरकार से भी बार-बार आग्रह किया था कि इसके काम को गति प्रदान करके इसे 31 जुलाई तक पूरा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मौसम के यकायक करवट बदल लेने के कारण से, हमेशा जब मॉनसून आता है, उससे एक महीने पहले ही अतिवृष्टि होने के कारण कैचमेंट एरिया में जो पानी बढ़ा, उसके कारण यह चुनौती खड़ी हुई। लेकिन, हमने निरन्तर उसकी समीक्षा करते हुए, राज्य सरकार के साथ मिलकर काम किया, ताकि उस पर मिनिमम लॉसेज हों और उसके कारण से हमारा प्रोजेक्ट डिले न हो। हमने इसके ऊपर दृष्टि बनाए रखी और उस दृष्टिकोण से हमने निर्णय भी किया और उसका समाधान भी किया है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने पोलावरम के डाउनस्ट्रीम में एक और प्रोजेक्ट दावलेश्वरम को बाँध के रूप में बनाने की चर्चा की है तो भारत सरकार में अभी इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट राज्य सरकार की तरफ से आकर विचार के लिए लम्बित नहीं है। जब राज्य सरकार भेजेगी तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। उसका टेक्निकल एप्रेज़ल होगा और उसके बाद ही उसके बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।

(प्रश्न संख्या 64)

[अनुवाद]

सुश्री देबाश्री चौधरी: मैं मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें से 2022-23 में पी.एम.ए.वाई. (शहरी) के लिए 28,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यदि हाँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए बजट आवंटन में कितनी बढ़ोत्तरी की गई है? इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

श्री हरदीप सिंह पुरी: महोदय, जब 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहर की घोषणा की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह उनका सपना है कि जब हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ मनाएं, तब तक प्रत्येक भारतीय जिस को घर की आवश्यकता है, वह चाहे कहीं भी रह रहा हो, उसके पास एक पक्का घर होगा जिसमें शौचालय, रसोई, गैस का कनेक्शन और वे सभी सुविधाएं हों जो हमारे प्रत्येक नागरिक के लिए एक आधुनिक घर में होनी चाहिए। इसलिए, मुझे यह बताने में बहुत खुशी हो रही है और मैं इस सभा को बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष 31 मार्च तक की मांग के आधार पर लक्ष्य, जो मूल रूप से एक करोड़ था, को हमने पहले ही चार अलग-अलग खंडों के तहत एक करोड़ बाईस लाख घरों को मंजूरी दे दी थी। वह पहले पूरा हो चुका है।

एक करोड़ बाईस लाख घरों के इस आंकड़े में से, चार अलग-अलग क्षेत्रों के अंतर्गत इकसठ लाख घर पहले ही लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। बाकी बचे हुए घर पहले से ही बनने शुरू हो गए हैं और उपयोग में आने वाली तकनीक को देखते हुए, निर्माण पूरा होने में आमतौर पर 12 महीने से 18 या 24 महीने या उससे थोड़ा अधिक समय लगता है। हमने सभी एक करोड़ बाईस लाख मकान निर्माण करने की स्वीकृति दे दी हैं। और माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में कोई बजटीय प्रावधान किया गया है अथवा नहीं। यह बजटीय प्रावधान विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि जो घर तैयार हो चुके हैं और जिन पर

काम चल रहा है, उन्हें पूरा किया जाए। इस काम के पूरा होने की नियत अवधि विभिन्न परियोजनाओं पर निर्भर करेगी। कुछ परियोजनाओं पर काम चल रहा है और वे पूरी हो रही हैं। इसके साथ ही प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी क्षेत्र के क्रियान्वयन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि हम इन निर्माण क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों को शामिल करने का प्रयास करें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, एक पूरा वर्ष वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी में आनी वाली चुनौती के आयोजन के लिए समर्पित किया गया था।

जिसके परिणामस्वरूप, दुनिया भर में निर्माण क्षेत्र में उपयोग की जा रही नवीनतम तकनीकों में से 53 को चुना गया और मुझे सभा को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इन 53 तकनीकों में से छह प्रौद्योगिकियों को देश के छह अलग-अलग शहरों में लाइटहाउस परियोजनाओं को पूरा करने के लिए चुना गया था और इन्हें लागू किया जा रहा है। जिनमें से कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनके हिस्से के रूप में इनमें से कुछ परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसमें एक वर्ष की अवधि में लगभग 1,000 आवास का निर्माण शामिल था।

माननीय सदस्य ने बजट अनुमान में जो बजट आवंटन मांगा है, उसमें से 28,000 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अलग से निर्धारित किए गए हैं। अगर ऐसी स्थिति सामने आती है कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ और पैसे की आवश्यकता होती है, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार करेगा लेकिन यह एक ऐसी योजना है जिसे अच्छी तरह से लागू किया गया है। उन सभी एक करोड़ बाईस लाख वासियों को बहुत जल्द घर मिल जाएगा। इकसठ लाख लोगों को पहले ही घर मिल चुका है और यदि आगे चलकर और अधिक निधि प्रदान करने की आवश्यकता पड़ती है तो और बजटीय प्रावधान करने में कोई बाधा नहीं आएगी।

सुश्री देबाश्री चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि पिछले पांच वर्षों के दौरान पी.एम.ए.वाई. (शहरी) के कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को कितना धन आवंटित और जारी किया गया है।

पश्चिम बंगाल में उक्त अवधि के दौरान कितने घरों का निर्माण किया गया? मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि क्या घर बनाने की योजना के कार्यान्वयन के दौरान केंद्र सरकार के संज्ञान में कोई अनियमितताएँ आई हैं। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।

श्री हरदीप सिंह पुरी: महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया है। जहां तक पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न चार कार्यक्षेत्रों के तहत स्वीकृत और कार्यान्वित किए गए घरों की संख्या की बात है, तो मुझे लगता है कि ये आँकड़े उत्तर में ही उपलब्ध हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आंकड़े दिए गए हैं। बाकी मुझे जितनी जानकारी है, मैं अपनी स्मृति से माननीय मंत्री को बता सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल के मामले में, जिन दो कार्यक्षेत्रों को लागू किया गया है, उनमें से बी.एल.सी. एक है।

बी.एल.सी. लाभार्थी नेतृत्व वाला प्रावधान है। जिसका मतलब है यदि आपके पास पारिवारिक घर है और वह ऐसी स्थिति में है, जिसे थोड़ी बहुत मरम्मत की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार घर की मरम्मत के लिए 1.5 लाख रुपये देती है। बी.एल.सी. में, पश्चिम बंगाल राज्य के आंकड़े इस प्रकार हैं: स्वीकृत घरों की कुल संख्या 6,05,599 थी; जमींदोज हो चुके घरों की संख्या 4,03,854 है और पूर्ण रूप से निर्मित और सौंपें गए घरों की संख्या 2,06,047 है। अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप वर्टिकल के तहत, जिसमें आम तौर पर राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार घरों के निर्माण के लिए कुछ धन प्रदान कर रही हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं, भले ही 3,542 घर स्वीकृत किए गए हों, लेकिन किसी पर भी कार्य आरम्भ नही हुआ है और इसलिए, कोई भी घर नहीं दिया गया है। सी.एल.एस.एस. के तहत - यह एक ब्याज छूट योजना है जिसके तहत यदि कोई युवा पेशेवर एक अपार्टमेंट खरीदना चाहता है, तो बैंक आम तौर पर 12 प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान करता है और हम 3 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान करेंगे - जिसके तहत 81823 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। ऐसा नामित बैंकों द्वारा किया जाता है। इनमें से ऐसे मकान जिन पर काम आरम्भ हो चुका है उनकी संख्या 73,182 है

और पूर्ण रूप से तैयार एवं सौपें गये मकानों की संख्या 73,182 है। दूसरे शब्दों में, *तत -स्थानिक* स्लम पुनर्विकास और वी.एच.पी. में, पश्चिम बंगाल राज्य ने योजनाओं को लागू नहीं किया है। अन्य दो पर, मैंने आंकड़े साझा किए हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं अन्य विवरण की जानकारी देने के लिए हमेशा तैयार हूं। लेकिन मैं कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसका सीधा सा कारण यही है कि ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदारी उठानी होगी कि निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में किया जा रहा है या नहीं।

[हिन्दी] **माननीय सभापति:** क्वैश्चन नंबर 67 और 73 क्लब कर रहे हैं।

क्वैश्चन नंबर 67

श्री सी. एन. अन्नादुरई उपस्थित नहीं।

श्री गजानन कीर्तिकर उपस्थित नहीं।

श्री गणेश सिंह

(प्रश्न संख्या 67 और 73)

श्री गणेश सिंह: प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना गरीबों का जीवन स्तर बदलने वाली योजना है। जब आजादी मिली थी, तो पहला नारा रोटी, कपड़ा और मकान देने का लगा था। दुर्भाग्यवश वह नारा चलता रहा, सरकारें आती गईं और बहुत लम्बे समय तक राज भी किया। वर्ष 2014-15 में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत की। आज देखते-देखते शहरों में 1 करोड़ 22 लाख मकान स्वीकृत हो चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग ढाई करोड़ से ज्यादा मकान बन चुके हैं। यह सचमुच जीवन स्तर बदलने वाली योजना है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आवास प्लस योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, क्या शहरी क्षेत्र में भी, इसमें जो लोग छूट गए हैं, उनको मकान देने के लिए कोई नई योजना इसमें शामिल करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री हरदीप सिंह पुरी: महोदय, मैं इसका जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। [हिन्दी] माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, यह बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। यह जो केंद्रीय योजना है, स्टेट्स की तरफ से जो डिमांड असेसमेंट आई थी, हमने अपनी योजना उसको लेकर बनाई। शुरू से हमें यह कहा गया कि सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटॉरीज़ में मिलाकर करीब 1 करोड़ की डिमांड असेसमेंट होगी। जैसे-जैसे स्कीम इम्पिलिमेंट होती गई, यह बढ़ती चली गई, 1 करोड़ 12 लाख हो गई और उसके बाद 1 करोड़ 22 लाख हो गई। मैं माननीय सदस्य जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो लाभार्थी हैं और हमें जो फीडबैक मिला है, उनकी जिन्दगी और उनके परिवार के लिए यह स्कीम एक बहुत फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लायी है। इस समय जो स्कीम है, हमारा एक वर्टिकल 31 मार्च, 2021 को ही खत्म हो गया था, जो मिडल इनकम ग्रुप सी.एल.एस.एस. का वर्टिकल था, बाकी स्कीम 31 मार्च, 2022 को एग्जॉस्ट हो गई, हम आने वाले साल में कम्पलीट करेंगे। यह हापोथेटिकल सवाल है, बाद में स्टेट की तरफ से डिमांड असेसमेंट और आएगा, [अनुवाद] फिर केंद्र उस पर विचार करेगा। [हिन्दी] इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर‡

(तारांकित प्रश्न सं. 65, 66, 68, 70 से 72 और 74 से 80

अतारांकित प्रश्न सं. 691 से 920)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न काल समाप्त ।

---

‡ **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(अनुवाद)

माननीय सभापति: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के. सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 20 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.192(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.7151/17/22]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियमन, 2022 जो 15 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.203(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.7152/17/22]

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं

की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(i) का.आ.1135(अ) जो 11 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-150क के डिजाइन किलोमीटर 266.820 से डिजाइन किलोमीटर 308.550 तक बेल्लारी से बायरापुरा खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(ii) का.आ. 1188 (अ) जो 16 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड में झारखंड राज्य में रांची पिस्का मोरे-बिजूपारा- कुरु (3.600 से किमी. 55.00) के लिए दिनांक 13.12.2019 के का.आ सं 4457(अ) में संशोधन के बारे में है।

(iii) का.आ. .1203(अ) जो 17 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बी.ओ.टी.(टोल) आधार पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय गलियारा एनएच-19 के पलसित से दनकुनी खण्ड के किलोमीटर 588.870 से किलोमीटर 652.700 (कुल डिजाइन लम्बाई 63.830) की छह लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(iv) का.आ. .1204 (अ) जो 17 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बी.ओ.टी.(टोल) आधार पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में पानागढ़ से पलसित खण्ड परियोजना के अंतर्गत एनएच-19 के किलोमीटर .521.120 से किलोमीटर 588.870 तक उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(v) का.आ. 1374(अ) जो 25 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ई.पी.सी. आधार पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161 के डिजाइन

किलोमीटर 60.725 से किलोमीटर 128.200 (वतर्मान कि.मी. 63.600 से कि.मी. 132.760) के मदेशी-वाशिम-सावरखेड़ा (हिंगोली) की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(vi) का.आ. 1423(अ) जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-49 (पुराना एनएच-200) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 68.000(डिजाइन चैनज कि.मी. 197.300 से कि.मी. 263.040) के कनकतोरा से झारसुगुड़ा खण्ड की परियोजना के लिए दिनांक 22.08.2019 के का.आ. सं 3022(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में संशोधन के बारे में है।

(vii) का.आ.1424(अ) जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच-31 के डिजाइन कि.मी. 206.050 से कि.मी. 266.282(वर्तमान कि.मी.209.945 से कि.मी. 270.000) तक सिमरिया-खगड़िया खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना में संशोधन के बारे में है।

(viii) का.आ. 1425(अ) जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-227 की कल्लागाम से मीनसुरुत्ती खण्ड की परियोजना के लिए डिजाइन चैनज कि.मी. 38.700 से कि.मी. 98.433 तक उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(ix) का.आ.1426(अ) जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच -227 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 38.700 तक त्रिची से कल्लागाम खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(x) का.आ.1448(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच -56 के डिजाइन कि.मी. 459.500 से कि.मी. 483.500 तक देवलिया से राजपिपला खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(xi) का.आ. 1449(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच -66 के कि.मी. 395.000 से कि.मी. 460.410 तक जनावली से पतरादेवी खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(xii) का.आ.1450(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच -58ड़ की झाड़ौल-अम्मावेली खण्ड की परियोजना के लिए डिजाइन कि.मी. 43.900 से कि.मी. 91.00 (वर्तमान कि.मी. 51.515 से वीआर के कि.मी. 2.690) तक उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(xiii) का.आ. 1451(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच -75(नया एनएच-39) की के सतना-बेला खण्ड की परियोजना के लिए डिजाइन कि.मी. 155.000 से कि.मी. 202.040 (वर्तमान किमी. 155.000 से किमी. 202.040) तक उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(xiv) का.आ. 1452(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच -930 के डिजाइन कि.मी. 313.850 से कि.मी. 332.160 (वर्तमान कि.मी. 6.145 से कि.मी. 21.475) तक वरोरा-वाणी खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(xv) का.आ. 1535(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जो डी.बी.एफ.ओ.टी. पैटर्न पर बी.ओ.टी. (टोल) के रूप में एन.एच.डी.पी. चरण-पांच के अंतर्गत हरियाणा/उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-2 के कि.मी. 20.500 से कि.मी. 200.000 तक दिल्ली-आगरा खंड की छह लेन परियोजना के लिए दिनांक 18.01.2010 के का.आ. सं. 104(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में संशोधन के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7153/17/22]

[हिन्दी]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क का भुगतान) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/02/2022-सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

2) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विपथन भुगतान निपटान प्रणाली और संबंधित मामले) विनियम, 2022 जो 22 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7154/17/22]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऑयल इण्डिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7155/17/22)

(दो) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7156/17/22)

(तीन) [हिन्दी] इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7157/17/22)

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनिमय) संशोधन विनियम, 2022 जो 6 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पी.एन.जी.आर.बी./फिन/9-गैस ई.एक्स.(2)/2021(पी-3676) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7158/17/22)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7159/17/22)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7160/17/22)

(दो) भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.7161/17/22)

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

<u>सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति</u>

62वें से 67वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 62वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (स्वीकृत)' के बारे में 63वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत)' के बारे में 64वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 65वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (स्वीकृत)' के बारे में 66वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत)' के बारे में 67वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.02 बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

170वें से 172वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) 'एक जिला एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) पहल सहित निर्यात हबों के रूप में जिलों (डीईएच) का क्रियान्वयन' के बारे में 170वां प्रतिवेदन।

(2) 'विशेष रूप से दार्जिलिंग क्षेत्र में भारतीय चाय उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दे' के बारे में 171वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत में ई-कॉमर्स का संवर्धन और विनियमन' के बारे में 172वां प्रतिवेदन।

———————

*ये प्रतिवेदन 15 जून, 2022 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए थे। उक्त प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को भी अग्रेषित की गई थी।

<u>अपराह्न 12.02 ½ बजे</u>

<u>विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति</u>

365वां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

डॉ. जयंत कुमार राय (जलपाईगुड़ी): मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति के 365वें प्रतिवेदन# के खण्ड-एक (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें "वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021" के बारे में 'समिति की सिफारिशें' अंतर्विष्ट हैं, को सभा पटल पर रखता हूं।

2. साथ ही, 365वें प्रतिवेदन का खंड-दो (प्राप्त भाषा में) जिसमें 'व्यक्तियों/विशेषज्ञों/संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन' अंतर्विष्ट है, भी सभा पटल पर रखता हूं।

———

*यह प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति के निदेश के निदेश 30(एक) के अंतर्गत 21 अप्रैल, 2022 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया और माननीय सभापति के निदेश 30(दो) के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया और यह प्रतिवेदन उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया गया।

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

<u>कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति</u>

117वां प्रतिवेदन

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ): मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का "मध्यस्थता विधेयक, 2021" के बारे में 117वें प्रतिवेदन# का खंड-एक (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2. साथ ही, 117वें प्रतिवेदन का खंड-दो (प्राप्त भाषा में) जिसमें 'व्यक्तियों/विशेषज्ञों/संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन' अंतर्विष्ट है, को सभा पटल पर रखता हूँ।

यह प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति के निदेश के निदेश 30 (एक) के अंतर्गत 13 जुलाई, 2022 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया और माननीय सभापति के निदेश 30 (दो) के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया और यह प्रतिवेदन उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया गया।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(i) (क) नागर विमानन मंत्रालय* से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में विभाग संबंधी परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 276वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 281वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(अनुवाद)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह): मैं नागर विमानन मंत्रालय संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 276वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 281वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7148/17/22]

(ख) नागर विमानन मंत्रालय* से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 291वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के. सिंह):मैं नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 291 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7149/17/22]

(ग) नागर विमानन मंत्रालय* से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 291वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी स्थिति के 302वें प्रतिवेदन अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) जनरल(सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के. सिंह: मैं नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021 -22) के बारे में विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 291वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी स्थिति के 302वें प्रतिवेदन अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

———————

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7150/17/22]

[हिन्दी]

माननीय सभापति: एडवोकेट अदूर प्रकाश - उपस्थित नहीं।

कुमारी गोड्डेति माधवी।

[अनुवाद]

कुमारी गोड्डेति माधवी (अराकु): मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी और पडेरू क्षेत्र में आदिवासी किसानों द्वारा किए गए कॉफी की खेती का काम, जिसे पहले मनरेगा के तहत शामिल किया गया था, को सितंबर, 2020 में केंद्र सरकार की योजना से हटा दिया गया था।

मनरेगा की सूची से काम हटाने के सरकार के फैसले ने आंध्र प्रदेश के लगभग 1.60 लाख आदिवासी किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो अपनी कृषि आय के मुख्य स्रोत के रूप में कॉफी की खेती पर निर्भर थे।

महोदय, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से कॉफी की खेती के काम को मनरेगा के तहत फिर से सूचीबद्ध करने का अनुरोध करती हूं क्योंकि इन क्षेत्रों में विशेष रूप से आदिवासी किसानों द्वारा उगाई जाने वाली कॉफी एक विशेष मामला है। मनरेगा के तहत मजदूरी बंद होने से आंध्र प्रदेश में कई कॉफी उत्पादक और बागान श्रमिक प्रभावित हुए हैं।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: श्री एम. के. राघवन - उपस्थित नहीं।

श्री तेजस्वी सूर्या - उपस्थित नहीं।

श्री धर्मवीर सिंह

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): माननीय सभापति जी, आजकल हरियाणा प्रदेश में रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से गांव की बस्तियों के लिए लाल डोरा मुक्त स्वामित्व योजना चलाई जा रही है।

ड्रोन से जगह देखी जाती है कि किसका मकान कहाँ था। मेरे इलाके और बहुत से गांवों से शिकायतें आई हैं कि ड्रोन प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है और मिल-मिलाकर जगह किसी की होती है और मकान किसी का दिखा देते हैं। मेरे क्षेत्र में ज्यादातर व्यापारी वर्ग मुम्बई, कोलकाता और सूरत में रहते हैं और पीछे से दूसरों के नाम चढ़ाने की वजह से बहुत मुश्किल आ रही है।

मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इसका कोई निपटारा करे। धन्यवाद।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): माननीय सभापति जी, पूरे देश और विशेषकर मुम्बई शहर में भवन निर्माण के विकास कार्यों के बहुत से प्रकल्प पर्यावरण प्राधिकरण के लोगों द्वारा उत्पन्न परेशानियों की वजह से बंद पड़े है। आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि देश में सिस्टम है, व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से नियम बनाया गया है, उस नियम को न मानने का काम पर्यावरण प्राधिकरण के लोग करते हैं।

अगर मैं मुम्बई शहर में स्लम डेवलपमेंट की बात करूं तो 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग झोंपड़-पट्टी में रहते हैं। झोंपड़-पट्टी वालों को विकास के नाम पर भाड़ा देकर बाहर शिफ्ट कर देते हैं और पर्यावरण प्राधिकरण के लोग 6 से 12 महीने तक परेशान करते हैं और परमिशन नहीं देते हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सिम्पल बात है, झोंपड़-पट्टी है तो वहाँ पॉल्युशन होता है, गंदगी फैलती है। झोंपड़-पट्टी को निकालकर भवन निर्माण होता है तो पर्यावरण में बहुत लाभ होगा। इसके बावजूद भी पर्यावरण प्राधिकरण के अधिकारी उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर परेशान करते है और फाइन करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में दो-तीन बार टिप्पणी की है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर मैं खुलकर कहूँ तो ब्लैकमेलिंग की जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है। यहां ब्यूरोक्रेसी की बहुत धांधली मची हुई है। भगवान ने अच्छा किया है कि वहाँ सरकार बदल गई।

मेरी आवाज़ आपके माध्यम से वहाँ तक पहुंचेगी तो झोंपड़-पट्टी वासियों के लिए भवन निर्माण मददगार साबित होगी। उन्हें अच्छा घर मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा और इन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आ जाएगा। मैं एक मिनट और लूंगा, मैं कभी इस बात पर हैरान होता हूँ कि हम सबने जो व्यवस्था बनाई है, वह लोगों की मदद करने के लिए है या परेशान करने के लिए है? इसका कहीं न कहीं ऑडिट होना चाहिए। इस प्रकार की धांधली मचाने वाले अधिकारियों को लाइमलाइट में, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। इसकी भी एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। मुम्बई में ...* करके एक अधिकारी हैं, कुछ लोगों का उनके बारे में कहना है कि अच्छे हैं और कुछ लोग कहते हैं बुरे हैं। मुझे पता नहीं है। मुम्बई में एसआरए डेवलपमेंट के लिए भी दो लाख स्कवेयर फीट का नियम बना दें, सीईओ एसआरए परमिशन दे। दो लाख से चार लाख स्कवेयर फीट का नियम बना दें, सीईओ एसआरए डायरेक्ट परमिशन दे देगा। प्राधिकरण के लोगों को नियम बनाना चाहिए, फाइल टू फाइल इनके पास नहीं भेजना चाहिए। ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। मैं आपके माध्यम से इस आवाज़ को महाराष्ट्र और मुम्बई तक पहुंचाने की विनती करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री बसंत कुमार पंडा – उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ (काकीनाडा): माननीय सभापति, मैं माननीय प्रधान मंत्री से तटीय क्षेत्र की एनकोर परियोजना की शीघ्र मंजूरी के लिए त्वरित कदम उठाने का अनुरोध कर रही हूं। एनकोर (तटीय और महासागर संसाधन दक्षता संवर्धन) परियोजना रणनीतिक रूप से तटीय आबादी को स्थिरता प्रदान करने और तटीय संसाधनों की संवहनीयता और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। आंध्र प्रदेश तटीय रेखा की लंबाई 974 किलोमीटर है जो गुजरात के बाद दूसरी सबसे बड़ी रेखा है। हर प्राकृतिक आपदा के दौरान विशेष रूप से पूर्वी गोदावरी और आंध्र प्रदेश के अन्य जिलों में उच्च समुद्री कटाव देखा जा रहा है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, पूर्णिमा हो या न हो, मेरे संसदीय क्षेत्र में उप्पाडा, कोनाप्पापेटा और पीतमपुरा में तटीय लहरें टकराती हैं। तटरेखा कटाव के कारण काकीनाडा-उप्पड़ा सड़क धीरे-धीरे गायब हो रही है। इसी कारण आपदाओं के दौरान संपत्ति और अन्य नुकसान के अलावा मानव हानि को कम करने की आवश्यकता है।

महोदय, एनकोर परियोजना चरण-एक को पहले ही पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका था, और इसकी मंजूरी के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सी.सी.ई.ए.) के समक्ष रखा गया था।

इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह तटीय आबादी और मछुआरों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश और अन्य तटीय राज्यों में एनकोर परियोजना को त्वरित मंजूरी देने के लिए कड़े कदम उठाएं। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री एम. श्रीनिवास रेड्डी-जी - उपस्थित नहीं

श्री वरुण फिरोज़ गांधी जी - उपस्थित नहीं

श्री रघु राम कृष्ण राजू (नरसापुरम): माननीय सभापति महोदय। मैं एक ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं जिसके बारे में भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉ. जयशंकर ने भी बात की थी। यह विभिन्न राज्यों में बढ़ती मौतों की संख्या के बारे में है, और हमें उन सावधानियों को अपनाना होगा जिसके अंतर्गत कई राज्य श्रीलंका के रास्ते पर जाते दिखाई दे रहे हैं।

इस संबंध में, मैं एक निवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हाल ही में मेरे अपने राज्य आंध्र प्रदेश में, जो आय राज्य के राजकोषीय खजाने में जानी थी, उसे एक निगम में भेज दिया जा रहा है ... (*व्यवधान*)

श्री मारगनी भरत (राजामुन्दरी): क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? … (*व्यवधान*)

श्री रघु राम कृष्ण राजू: महोदय, मुझे बोलने दीजिए। ... (*व्यवधान*) महोदय, मुझे हमारी संसद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है... (*व्यवधान*) मुझे बोलने की अनुमति नहीं है ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्लीज़ आप अपनी बात रखिए।

[अनुवाद]

श्री रघु राम कृष्ण राजू: वे अनावश्यक बात क्यों कर रहे हैं?

माननीय सभापति:श्रीमान राजू, आप बस अपनी बात रखें।

… (*व्यवधान*)

श्री रघु राम कृष्ण राजू: जी, महोदय।

आंध्र प्रदेश सरकार 2022 का एक अधिनियम 9 लेकर आई है, जिसमें राजकोष में जमा होने वाली आय को आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है, और इसके खिलाफ… (*व्यवधान*)

श्री मारगनी भरत: क्या आपके पास कोई सबूत है? … (*व्यवधान*)

श्री रघु राम कृष्ण राजू: हाँ, मेरे पास सबूत है। मेरे पास अधिनियम है। … (*व्यवधान*)

श्री मारगनी भरत: कृपया शांति बनाएं रखें। ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्रीमान राजू, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें और अपना निवेदन पूरा करें।

… (*व्यवधान*)

श्री मारगनी भरत: महोदय, वह इस तरह चिल्ला नहीं सकते। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: श्री राजू जी, आप अपनी बात रखिए और केवल चेयर को एड्रेस कीजिए।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मारगनी भरत: उनमें बिल्कुल भी शालीनता नहीं है। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: भरत जी, कृपया बैठ जाइये।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: श्री राजू जी, आप केवल अपनी बात रखिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रघु राम कृष्ण राजू: महोदय, मैं अध्यक्षपीठ को संबोधित कर रहा हूं। … (*व्यवधान*)

तो मुद्दा यह है कि जो राशि राज्य के खजाने में जमा होनी चाहिए थी, उसे निगम को दिया जा रहा है, और उस निगम के विरूद्ध ऋण लिया जा रहा है, जो अब भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। वे बात कर रहे हैं कि अतिरिक्त ऋण नहीं लेना चाहिए। … (*व्यवधान*)

मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। सिर्फ इसलिए कि कोई किसी संस्थान का प्रबंधन कर रहा है, इससे हमारी कोई प्रगति नहीं होगी। … (*व्यवधान*) मैं सारी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: अब, श्री रतन लाल कटारिया जी

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह एयरपोर्ट मोहाली, पंजाब क्षेत्र में स्थित है, जबकि हरियाणा राज्य भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली ट्राई

सिटी के लिए यह अत्यंत आवश्यक एयरपोर्ट है। वहाँ से घरेलू उड़ानों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का भी संचालन किया जाता है। पंचकुला के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए मोहाली की तरफ से 25 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जबकि पंचकुला से एयरपोर्ट मात्र चार-पांच किलोमीटर लंबा है। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी न होने के कारण यात्रियों पर समय व ईंधन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

यह सरकार की स्वच्छ पर्यावरण की प्रतिबद्धताओं के भी विपरीत है। पंचकुला को हरियाणा सरकार ने मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया है। जिस प्रकार से गुड़गांव और फरीदाबाद का विकास हरियाणा प्रदेश में पिछले 50 सालों में हुआ है, सरकार का इस तरफ पूरा ध्यान है। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में जनसंख्या के दबाव को देखते हुए सरकार पंचकुला को एक बहुत ही बेहतरीन शहर के रूप में विकसित करना चाहती है। उसके लिए यह आवश्यक है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हरियाणा की ओर से रास्ता दिया जाए।

महोदय, मैं माननीय सड़क व परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूँ कि एयरपोर्ट के लिए पंचकुला की ओर से कनेक्टिविटी दी जाए, ताकि यात्रियों की सुविधाओं के साथ-साथ समय व ईंधन के बोझ को कम किया जा सके।

[अनुवाद]

[*]**श्री सुरेश पुजारी (बारगढ):** धन्यवाद, महोदय। मैं आज आप सभी के समक्ष ओडिशा राज्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान और किसानों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन सभी योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे महत्वाकांक्षी है। लेकिन ओडिशा में यह योजना पूरी तरह से मुद्दे से भटक चुकी है।

पिछले साल 7 दिसंबर, 2021 को मैंने यही मुद्दा इसी सदन में उठाया था। महोदय, मैं बारगढ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसमें झारसुगुड़ा जिला भी शामिल है। ओडिशा

[*]मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

राज्य में धान उत्पादन का 1/7वां भाग बारगढ जिले में होता है। सरकार ने फसल बीमा के लिए एस.टी.एफ.सी. एग्रो इंश्योरेंस नामक कंपनी के साथ समझौता किया है। यह उक्त कंपनी लगातार दो वर्षों से किसानों को उनका बकाया भुगतान नहीं कर रही है।

महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कंपनी में पंजीकृत 8,25,868 गैर ऋणी और 6,076,77 ऋणी लोगों ने बीमा राशि के लिए आवेदन किया था। कंपनी देय तिथि के बाद बिना किसी वैध कारण के उनके दावों को मंजूरी नहीं दे रही है। दावों से जुड़े चार लाख बीस हजार आवेदन वापस कर दिए गए हैं, एक लाख उनतीस हजार पांच आवेदन खारिज कर दिए गए हैं और कई मामले अभी भी लंबित हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

मैं यहां जो दूसरा मुद्दा उठाना चाहूंगा वह फसल कटाई के बारे में है। राज्य सरकार ने अभी तक इससे जुड़ी अपेक्षित जानकारी अपलोड नहीं की है। बीमा कंपनी भी मामले से पल्ला झाड़ रही है। महोदय केवल बारगढ में ही नहीं, पूरे ओडिशा राज्य में फसल बीमा योजना बुरी तरह विफल रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त और कृषि मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे ओडिशा राज्य सरकार से वास्तविक स्थिति दर्शाने वाला प्रतिवेदन मांगें । उन्हें यह पूछना चाहिए कि किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। एसटीएफसी कंपनी को काली सूची में डाला जाना चाहिए और साथ ही इसे देश के किसी भी हिस्से में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पंजीकृत किसानों को जल्द से जल्द उनका मुआवजा मिलना चाहिए। महोदय, मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले हस्तक्षेप करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, जो कोई भी विषय के साथ संबद्ध करना चाहते हैं, वे स्लिप दे सकते हैं।

श्री रितेश पाण्डेय – उपस्थित नहीं।

श्री अरविंद सावंत जी।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): आदरणीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि मैं पिछले पांच-छः सालों से एक विषय को लेकर बहुत व्यथित हूँ और उसको बार-बार यहां पर रखता हूँ।

महोदय, महाराष्ट्र में जो बीडीडी चॉल्स हैं, उनके तीन-चार कॉम्पलेक्स हैं। ये नायगांव, वर्ली, एनएम जोशी मार्ग और शिवडी में हैं। राज्य सरकार ने उनके पुनर्विकास करने के बारे में तय किया है और पुनर्विकास का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन जो शिवडी वाला क्लस्टर है, बाकी के जो तीनों क्लस्टर्स हैं, उसकी जमीन राज्य सरकार की है। जो चौथा अर्थात् शिवडी वाला क्लस्टर है, वह केन्द्र सरकार के मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर है। उसने आज तक अनुमति नहीं दी है। वहाँ पर करीब 960 लोगों के मकान हैं। उसमें 16 बिल्डिंग्स हैं। राज्य सरकार ने तय किया है कि उन बिल्डिंग्स का पुनर्विकास किया जाएगा और पैसा भी वही देगी। इनको मुफ्त में घर मिलने वाले हैं, वह भी 600 स्क्वॉयर फीट के घर मिलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आज भी केन्द्र सरकार निर्णय नहीं ले रही है। इसे अब कोई भी नहीं कर सकता है इसलिए मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इनको वंचित क्यों किया जा रहा है? केन्द्र सरकार के लिए एक उपलब्धि और है। वहाँ पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नाम से एक रास्ता जा रहा है, नवी मुम्बई में जो नया हवाईअड्डा बनने जा रहा है, उसके लिए वहीं से रास्ता जा रहा है। उसी शिवडी बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है। इसलिए कल को उस जमीन पर मकान तो तोड़ने ही होंगे। जमीन मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट की है। मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने ट्रांस हार्बर लिंक के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन इन बिल्डिंगों के लिए अनुमति नहीं दे रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे खुद इस विषय पर ध्यान दें। यह कोई अनधिकृत निवास नहीं है। यह अधिकृत निवास है। यह कोई झुग्गी-झोपड़ियों का विषय नहीं है। वह अलग विषय है। मैं उसके ऊपर भी कभी बोलूंगा, लेकिन आज अधिकृत होने के बावजूद भी ये मकान पुराने हैं और कभी भी ढह सकते हैं। अगर आज आप वहाँ बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको हर टॉयलेट में लिकेज मिलेगा। ऐसी स्थिति में वहाँ कॉमन टॉयलेट्स हैं। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि

आदरणीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इस विषय पर ध्यान देकर शिवडी के बीडीडी चॉल के पुनर्वास के लिए जल्दी से जल्दी अनुमति दें, ताकि राज्य सरकार उसका काम शुरू कर सके।

माननीय सभापति: श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, उपस्थित नहीं।

श्री हिबी ईडन, उपस्थित नहीं।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, उपस्थित नहीं।

श्री राहुल रमेश शेवाले।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, धन्यवाद। पिछले कई सालों से देश के पहाड़ी इलाकों और कोस्टल क्षेत्रों में बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं जैसे कि मुम्बई (2005), उत्तराखंड (2013), केदारनाथ (2013), महाराष्ट्र में मालिन गांव (2014) और इसी महीने अमरनाथ (2022) में बादल फटने की घटनाओं में जान माल का भारी नुकसान हुआ है और देश ने जीवन और कृषि उपज के नुकसान के रूप में कीमत चुकाई है। इसी सप्ताह में हिमाचल में भी बादल फटने की गंभीर घटना हुई है। बादल फटने से मिट्टी का कटाव, सड़कों और रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन और यहां तक कि पहाड़ी इलाकों में निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं। मैं आपका ध्यान वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और मुंबई जैसे शहरों में शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव तथा महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों की ग्रामीण आबादी और विशेष रूप से मुंबई जैसे मेगा शहरों में लगभग हर क्षेत्र में कठिन समय का सामना करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मुंबई शहर के परिवहन, तूफान का पानी, पीने का पानी, जल निकासी, सीवेज उपचार, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बढ़ते जोखिम जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार ने एमसीजीएम के माध्यम से ग्रेटर मुंबई के नगर निगम को क्लाउड बर्स्ट या भारी वर्षा के हाइड्रोलिक मॉडलिंग और संबंधित भौतिक और सामाजिक क्षति तथा इसके प्रभावों के माध्यम से

अभिनव समाधान विकसित करने के लिए क्लाउडबर्स्ट रेजिलिएंसी प्लानिंग स्टडी आयोजित करके ध्यान केंद्रित किया है और दक्षिण मध्य मुंबई के क्षेत्र में एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है तो आपदा प्रबंधन विभाग या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या मुंबई के बीएमसी के माध्यम से इस प्रस्ताव को तुरंत लागू करना चाहिए।

हम उम्मीद करते हैं कि अध्ययन के परिणाम के रूप में, निर्दिष्ट अध्ययन क्षेत्र दक्षिण मध्य मुम्बई के अवसरों की पहचान करके चरम स्थितियों के लिए प्रतिधारण और वाहन प्रदान किया जाए, जिससे सामान्य परिस्थितियों में सामुदायिक और पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान किए जा सकें।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार, विश्व बैंक, एडीबी एशियाई विकास बैंक से वैचारिक डिजाइन और बजट अनुमान अनुमोदन और वित्त पोषण और एनजीटी, पर्यावरण और वन मंत्रालय, व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर (विस्तृत योजना रिपोर्ट) से पायलट परियोजना क्षेत्रों के लिए पर्यावरण और वैधानिक अनुमोदन मुंबई से शुरू करके सम्पूर्ण देश में लागू किया जाए, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों एवं मुंबई और देश के अन्य भागों को क्लाउड बर्स्ट से सुरक्षित किया जा सके।

[अनुवाद]

डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा): माननीय सभापति, मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कलबुर्गी, कर्नाटक से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कलबुर्गी शहर का विस्तार तेज गति से मौजूदा रिंग रोड से काफी आगे तक हो गया है।

एनएच 150ई, एनएच 50 और एनएच 150 पर बहुत अधिक यातायात है, और लोगों को कलबुर्गी शहर के यातायात के साथ मौजूदा रिंग रोड पर यात्रा करनी पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप भारी यातायात जाम होता है और यात्रियों को कठिनाई का अनुभव भी होता है। इसलिए, यातायात की सुरक्षित, सुचारू और भीड़भाड़ मुक्त आवाजाही के लिए एक नए बाईपास

की आवश्यकता है। बाईपास की प्रस्तावित लंबाई 41.43 किमी है, जो एनएच-150ई के साथ इसके जंक्शन से शुरू होती है और एनएच-50 के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होती है।

प्रस्तावित बाईपास पेव्ड शोल्डर के कैरिजवे के साथ एक चार-लेन का बाईपास है। एनच-150 से होते हुए एनच-150ई और एनच-50 *के बीच* संरेखण कनेक्शन को पहले ही मंत्रालय द्वारा 14.02.2017 को मंजूरी दे दी गई है, और नियम 3(ए) के अन्तर्गत अधिसूचना 09.01.2019 को राजपत्र में भी प्रकाशित की गई थी।

इस प्रस्तावित बाईपास को एनएच के रूप में घोषित किया जाना मंत्रालय के पास लम्बित है, यानी यह मंत्रालय के योजना विभाग में लंबित है। इस वर्तमान वार्षिक योजना में भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। इसे मंजूरी देने की आवश्यकता है।

कर्नाटक सरकार ने इस पर सहमति जताई है। [हिन्दी] सर, मैं कल मुख्यमंत्री बोम्मई जी से मिलकर आया हूँ। [अनुवाद] उन्होंने भूमि अधिग्रहण लागत का 50 प्रतिशत वहन करने पर सहमति जताई है। [हिन्दी] यह विषय मैंने बहुत बार 'ज़ीरो ऑवर' में रेज किया है और स्टार्ड क्वेश्चन में भी माननीय गडकरी जी ने रिप्लाई दिया है। [अनुवाद] इसे जल्द से जल्द मंजूरी मिलनी चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जल्द से जल्द यानी अगले 2-3 महीने में इसे मंजूरी दे दे। धन्यवाद, सभापति महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): सर, सारा सदन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पंजाब को ग्रेनरी ऑफ दि कंट्री इसलिए कहा जाता है, क्योंकि पिछले 70 सालों में हमारे देश के अन्न भंडार में व्हीट और राइस का सबसे ज्यादा योगदान पंजाब से आता रहा है। पंजाब के किसानों ने पिछले समय में एक बड़ा आन्दोलन किया, जो सारे देश ने देखा, जिसमें 700 किसान शहीद भी हो गए। जब वह आन्दोलन खत्म करने के लिए 9 दिसम्बर, 2021 को सरकार ने किसानों को कहा था कि हम ये कानून वापस लेते हैं, तब जो चिट्ठी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किसानों को दी थी, उसमें क्लियरली कहा गया था, उसमें नम्बर वन पॉइंट यह था कि एक कमेटी

बनाई जाएगी, जिसका मैंडेट यह होगा कि देश के किसान को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जा सकता है। यह नम्बर वन पॉइंट था और यह उनका नम्बर वन एजेंडा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हमें एक लीगल राइट दिया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस महीने की 12 तारीख को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से एक गज़ट नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें वे सारी बातें हटाकर, सिर्फ यह लिख दिया गया है – [अनुवाद] "न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना।"

[हिन्दी] इसको करने के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है, उसमें चेयरमैन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को बना दिया गया, जो उन तीन कानूनों के आर्किटेक्ट थे। उनके साथ नीति आयोग के मेंबर हैं, जो ये काले कानून लेकर आए। उसके बाद, इसमें जो पांच फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने लिखे हैं, उनमें से ... *और अन्य सारे लोग भाजपा के साथ संबंधित हैं। उनमें से एक महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलसी रह चुके हैं। ... * बीजेपी से हैं। … *(व्यवधान)*

माननीय सभापति: कोई भी नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: सर, यह रिपोर्ट का हिस्सा है। इसमें जो पांच रिप्रजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर्स हैं, ये वही लोग हैं, जिन्होंने वोसीफेरसली इन कानूनों के हक में पूरे देश में शोर मचाया था और इनके हक में खड़े थे। उनको इसमें डाल दिया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जम्मू की यूनिवर्सिटी डाल दी, जबलपुर की यूनिवर्सिटी डाल दी। स्टेट गवर्नमेंट्स में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा शामिल की गई हैं, लेकिन जिन किसानों ने लड़ाई लड़ी, पंजाब के न किसान, न सरकार और न हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है।

सर, किसानों को फिर एक बार आन्दोलन पर मत बैठाइए। यह पंजाब के साथ सरासर ज्यादती हो रही है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उन सदस्यों की सूची जिन्होंने स्वयं को अविलंबनीय लोक महत्व के मामलो के अन्तर्गत उठाए गए मुद्दों से संबद्ध किया है

[हिन्दी] **सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।**	[हिन्दी] **सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
[अनुवाद] श्री राहुल रमेश शेवाले	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे श्री प्रतापराव जाधव
श्री अरविंद सावंत	श्री गोपाल शेट्टी
श्री सुरेश पुजारी	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

———

<u>अपराह्न 12.27 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले

(अनुवाद)

माननीय सभापति: अब, नियम 377 के अधीन मामले - डॉ. हिना विजयकुमार गावित।

(एक) जल जीवन मिशन से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देशों को संशोधन किए जाने की आवश्यकता

डॉ. हिना विजयकुमार गावित (नन्दुरबार): सरकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यान्वित कर रही है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सफाई और जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम शामिल है। 5000 से अधिक की आबादी वाले गांवों को जल निकासी प्रणालियों के निर्माण के लिए सीधे धन दिया जाता है।

जल जीवन मिशन योजना को मिशन मोड पर लागू किया जा रहा है जिसमें प्रति दिन 55 लीटर *प्रति व्यक्ति* पानी प्रदान किया जा रहा है और एक घर के लिए औसत पानी की खपत 200 लीटर प्रति घर है। पानी की उपलब्धता से तरल अपशिष्ट और भूरे पानी का उत्पादन होता है जिसके लिए अपशिष्ट जल को बाहर निकालने के लिए उचित जल निकासी प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो जमा होने पर वेक्टर-जनित बीमारियों में वृद्धि का कारण बन सकता है। वर्तमान दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 5000 से कम आबादी वाले गांवों में जल निकासी प्रणाली के निर्माण के लिए मनरेगा और 15$^{वें}$ वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के माध्यम से धन दिया जाना है।

तथापि, उक्त निधियां अपर्याप्त है और इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया 5000 से अधिक आबादी वाले गाँवों के लिए वित्तपोषण की अधिकतम सीमा को हटा दें और

विद्यमान दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन करें ताकि जनसंख्या संबंधी आवश्यक शर्तों को पूरा किए के प्रत्येक गाँव में जल निकासी प्रणालियों के निर्माण के लिए निधियां प्रदान की जा सके जो समुचित अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी और प्रदूषण को कम करेगी।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, जो पाठ आपके पास है, केवल उसी को पढ़िये। वही रिकॉर्ड में जाएगा, उसके इतर कुछ मत बोलिए।

... *(व्यवधान)*

(दो) छत्तीसगढ़ में किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया और डी.ए.पी. उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अरूण साव (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्व का विषय उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद।

प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की तरक्की के लिए काम कर रही है। रासायनिक खादों में एक बड़ी सब्सिडी यूरिया में लगभग 2,700 रूपये, डी.ए.पी.में लगभग 2,500 रूपये प्रति बोरी मोदी जी की सरकार किसानों को दे रही है, परंतु छत्तीसगढ़ में कथित रूप से कालाबाजारी हो रही है और किसानों का शोषण हो रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस विषय पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार को निर्देशित करें कि वे किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया, डी.ए.पी. आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(तीन) देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): इस बात के काफी संकेत हैं कि देश में कृषि उत्पादकता और खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है। प्रधान मंत्री ने उत्पादन में वृद्धि करने और तत्पश्चात् मूल्य श्रृखंला में सुधार लाने पर बल दिया है। कृषि क्षेत्र के धीमे विकास के मुख्य कारण कम सार्वजनिक निवेश, उत्पादकता में स्थिरता आना, मृदा का क्षरण, फसल कटाई अपशिष्ट, अल्पमूल्यवर्धन, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अल्प उपयोग तथा किसानों के उत्पादों का बाजार के बिचौलियों द्वारा मूल्य निर्धारण किया जाना आदि है। देश में दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए इसमें इस प्रक्रिया को स्मरण करना और उससे सीखना होगा, जिससे प्रथम हरित क्रांति संभव हो पाई। जैव विज्ञान, जल संरक्षण, सूक्ष्म कृषि तथा जैव प्रौद्योगिकी आदि में इजराइल जैसे देशों के अनुभवों का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से इस संबंध में आग्रह करता हूँ कि देश में कृषि के विकास हेतु हर संभव प्रयास करे।

(चार) राजस्थान के उदयपुर में हाल ही में हुई आतंकवादी गतिविधि और राज्य में आतंकवादी संगठन के बढ़ते हुए नेटवर्क के बारे में

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की योजनाबद्ध तरीके से साजिश रची गई। उदयपुर शहर के हाथीपोल क्षेत्र में मालदास स्ट्रीट में कन्हैयालाल टेलर की दुकान में घुसकर उसकी हत्या कर दी और हत्या का लाइव वीडियो बनाकर एक आपत्तिजनक वीडियो को वायरल कर दिया गया, जिससे हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव के हालात हो गए। जब इतनी बड़ी घटना की जांच एजेंसियों ने शुरू की तो पता चला कि इस हत्या के तार पाकिस्तान स्थित दावत-ए-इस्लामी संगठन से जुड़े हैं। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे इस संगठन का असल मकसद भारत में दहशत फैलाना एवं सांप्रदायिक दंगे करवाना है। यह संगठन राजस्थान में सक्रिय है और लगातार अपने पांव पसार रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि राजस्थान राज्य में लगातार फैल रहे दावत-ए-इस्लामी संगठन पर अति शीघ्र प्रतिबंध लगाया जाए और मृतक कन्हैयालाल को न्याय दिलाने के लिए जांच स्पेशल केस में लेकर दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए, जिससे मेरे शहर उदयपुर की शांत, सुरक्षित और निडर गलियों में फिर कोई दरिन्दा इस तरह की कोई हरकत नहीं करे। धन्यवाद।

माननीय सभापति: केवल आपका दिया हुआ पाठ रिकॉर्ड में जाता है।

... *(व्यवधान)*

माननीय सभापति: श्री रमेश बिधूड़ी जी।

श्री प्रतापराव जी।

(पांच) नांदेड़-बीदर रेल लाइन परियोजना के बारे में

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): सभापति महोदय, नांदेड़-बिदर रेल परियोजना जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र की महाराष्ट्र और कर्नाटक दो राज्यों को जोड़ने वाली अत्यधिक महत्वपूर्ण रेल परियोजना है, जिसे सरकार द्वारा बजट का आकलन करने के उपरांत पिंकबुक में सम्मिलित करते हुए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। मेरे द्वारा इस रेल परियोजना की प्रगति का ब्यौरा मांगने पर मुझे रेल मंत्रालय ने पत्र द्वारा अवगत कराया कि यह प्रस्ताव दोनों राज्य सरकारों की सहमति हेतु लंबित है अथवा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक सरकारों के पास अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। इस प्रक्रिया को लगभग एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन कार्य में अभी तक कोई आगे प्रगति नहीं हुई है। मेरी सरकार से आग्रहपूर्वक मांग है कि दोनों संबंधित सरकारों को एक न्यूनतम समय सीमा के अंदर अपनी-अपनी सीमावर्ती इलाकों से भूमि अधिग्रहण तथा बजट के प्रावधान को स्वीकृति देकर शीघ्रातिशीघ्र केन्द्र सरकार को सौंपे ताकि इस रेल मार्ग के सभी लाभार्थी जिलों के ग्रामीण इलाकों को भी लाभ मिले और अधिकतम ग्रामीण इलाकों को रेल सेवाओं से जोड़ने का प्रधान मंत्री जी का सपना भी साकार हो।

माननीय सभापति: श्री सुब्रत पाठक जी।

श्रीमती केशरी देवी पटेल जी।

(छह) 'मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी' को 'अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस' के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): सभापति महोदय, हमारा देश भारत एक धर्म परायण देश है। इस देश की धरती पर लगभग 5200 वर्ष पूर्व अवतरित श्रीमद् भगवद्गीता 700 श्लोकों का एक दिव्य ग्रन्थ है। यह एक अमूल्य चिन्तामणि रत्न, साहित्य सागर में अमृत कुम्भ और विचारों के उद्यान में कल्पतरू तथा धर्म में सत्य पथ का एक ज्योति स्तम्भ है। इसमें वेद का मर्म, उपनिषद का सार, महाभारत जैसा ऐतिहासिक ग्रन्थ का नवनीत तथा सांख्य का समन्वय है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक शास्त्र है जिसमें मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। यह अलौकिक ग्रन्थ एक ऐसा तत्वज्ञान है जिसमें भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की आत्मा बसती है और आज तक निर्विवादित रहा है। लगभग सभी सम्प्रदायों के संस्थापक महापुरुषों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में गीता का ही सत्य दुहराया है कि “ईश्वर एक है”। पूरे विश्व में समस्या बनी है। रक्तरंजित वातावरण, आतंकवाद, नस्लभेद, ऊंच-नीच तथा अनेकानेक मुद्दों से विश्व के हर राष्ट्र का नेतृत्व समाधान खोजने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन इन सबका सम्पूर्ण समाधान केवल श्रीमद् भगवद्गीता भाष्य यथार्थ गीता में ही भली प्रकार है। माननीय सभापति महोदय, इस संदर्भ में मेरी एक प्रार्थना तथा बहुमूल्य सुझाव है। हमारे पंचांग के अनुसार “गीता जयंती दिवस” 'मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी पर मनायी जाती है। हमारी मान्यता के अनुसार यह दिवस श्रीमद् भगवद्गीता का प्रतीकात्मक जन्म दिवस है। इसी दिन महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अत: विश्व में इस महान ग्रन्थ को यथोचित सम्मानित करने के लिए इस दिवस को “अंतर्राष्ट्रीय दिवस” घोषित कराने का प्रयास किया जाए ताकि विश्व जनमानस का ध्यान इसके उपदेशों पर केन्द्रित हो सके।... *(व्यवधान)*

माननीय सभापति: श्री देवजी पटेल जी।

... *(व्यवधान)*

माननीय सभापति: इसमे एसोशिएट नहीं। नियम 377 में एसोशिएट कहाँ होता है?

... *(व्यवधान)*

श्री देवजी पटेल (जालौर): सभापति महोदय, इन्होंने दिल से एसोशिएट कर दिया।

माननीय सभापति: जी।

(सात) राजस्थान के जालौर जिले में बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए रेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने के बारे में

श्री देवजी पटेल (जालौर): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर में रेलवे संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

1. समदडी भीलडी मार्ग का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाए।

2. ट्रेन संख्या 22483/84 जोधपुर गांधीधाम ट्रेन का मोदरण स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।

3. बाडमेर यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस 14805/14806 ट्रेन को सप्ताह में सातों दिन, प्रतिदिन चलाने एवं स्लीपर कोच जोड़ने के संदर्भ में।

4. जालोर से दिल्ली वाया जयपुर, समदडी भीलडी मार्ग, नई रेल प्रारंभ किया है।

5. जालोर जिला का दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों को निम्न रूप से रेलमार्ग से जोड़ा जाए-

    (i) बेंगलुरु से जोधपुर वाया समदडी भीलडी

    (ii) हैदराबाद से जोधपुर वाया समदडी भीलडी

    (iii) कोयम्बटुर से जोधपुर वाया समदडी भीलडी

    (iv) चेन्नई से जोधपुर वाया समदडी भीलडी

6. जैसेलमेर – कांडला वाया सांचौर नई रेल लाइन का प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से स्वीकृत कर निर्माण कराया जाए।

7. दिल्ली सराय रोहिला भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 22421/22422 ट्रेन का विस्तार भीलडी जंक्शन तक करवाया जाए।

(आठ) हरियाणा के अम्बाला में वैज्ञानिक उपकरण उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): माननीय सभापति महोदय, मैं मान्यवर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी का ध्यान अम्बाला के विज्ञान उपकरण उद्योग की ओर दिलाना चाहता हूँ। अम्बाला विज्ञान उपकरण व रक्षा उत्पादों को बनाने के लिए विश्व विख्यात है। माइक्रोस्कोप, ग्लास डेयर, फिजिक्स व अन्य उपकरण यहां बनाये जाते है। अग्नि-5 में भी अम्बाला विज्ञान उद्योग के एक कारोबारी ने कुछ पुर्जे बनाये हैं। यहां पर 3,000 के लगभग इकाइयां कार्य कर रही हैं जिनकी सालाना टर्न ओवर 1500 करोड़ रूपये के लगभग है। चीन द्वारा भारत के अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर कब्ज़ा करने के बाद चीन ने अम्बाला के विश्व विख्यात विज्ञान उद्योग पर भी 45% कब्ज़ा कर लिया है। यदि अम्बाला के विज्ञान उद्योग को प्रशिक्षित लेबर उपलब्ध न करवाई गयी और चीन से आने वाले माल पर रोक न लगाई गयी तो हजारों लोगों को रोजगार देने वाला यह उद्योग तबाह हो जायेगा। इस उद्योग के लिए आज सरकार द्वारा अम्बाला के विज्ञान उद्योग से जुड़े उद्यमियों की मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत तरीका उन्नत करने की आवश्यकता है। यहां पर एक बड़ा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाये जाने की भी आवश्यकता है। यहाँ पर पहले टूल रूम और एक डीडीसी की स्थापना की गयी थी, जिसे आज बंद कर दिया गया है। मैं मांग करता हूँ कि सरकार अम्बाला के विज्ञान उद्योग को ड्रैगन अटैक से बचाया जाये।

(नौ) पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय सभापति जी, आज भारत की आर्थिक प्रगति का आधार आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र है। सरकार की नीति के आधार पर कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के अनेक उपाय किये जा रहे हैं। लेकिन कृषि में सिंचाई जल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा-राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन है। वर्षा दर भी राजस्थान में न्यून है। राज्य सरकार ने जो डी.पी.आर. बनाई उसमें दौसा जिले को कमाण्ड एरिया से बाहर रखा है।

अतः मैं आपके माध्यम से आज यह मांग करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा, जहाँ 90 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है, उन सभी कृषकों की पीड़ा को ध्यान में रखकर ई.आर.सी.पी. प्रोजैक्ट को मंज़ूर किया जाये।

(दस) बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): महोदय, आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि पटना जिला मे एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में कार्यरत है। यदि मेरे क्षेत्र के किसी किसान को कृषि से संबन्धित नवीनतम तकनीकी जानकारी अथवा लाभप्रद योजनाओं से अवगत होना हो तो उसे बाढ़ जाने हेतु करीब 80 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी जो किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत एवं व्यावहारिक नहीं है। उल्लेखनीय है कि सरकार के स्तर से किसानों को नए तरीके से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर उनकी आमदनी को दुगुनी करने की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई गयी हैं जिसमे कृषि विज्ञान केंद्र की अग्रणी भूमिका है। उक्त उद्देश्य से लाभान्वित होने से मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता पूर्ण रूप से वंचित है क्योंकि कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र की दूरी मेरे संसदीय क्षेत्र से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है।

यह भी विदित है कि पटना जिले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तथा पटना जिले में तीन लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं तथा पटना में एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ मे स्थापित है। यदि जिले का क्षेत्रफल बड़ा हो तो उक्त जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का भी दृष्टांत उपलब्ध है । अतः माननीय कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कृपया प्राथमिकता के आधार पर मेरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों (यथा- फुलवारीशरीफ़, दानापुर, मनेर, पालीगंज, मसौढ़ी, बिक्रम) में से किसी एक में, यथोचित स्थान पर कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की दिशा में वांछित आदेश एवं निर्देश अविलंब देने की कृपा की जाये।

(ग्यारह) अनुसूचित जनजातियों की सूची में उत्तर प्रदेश के बंजारा समुदाय को शामिल शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान हमारे राज्य से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूँ। बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालने का मामला बहुत दिनों से केंद्र सरकार में लंबित है। उत्तर प्रदेश का बंजारा समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक मानदंडों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इन्हीं कारणों से इस बारे मे राज्य सरकार की कैबिनेट ने 2013 में ही निर्णय लेकर अपनी प्रबल संस्तुति पत्रांक 1689, दिनांक 8.11.2013 के माध्यम से केंद्र को भेज चुकी है।

यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने के लिए निर्धारित 5 विशेषताओं में से सभी पर बंजारा समुदाय की योग्यता है, जिसका राज्य की अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध संस्थान, लखनऊ के द्वारा पूरी जांच के बाद सत्यापन किया गया और उसके बाद ही राज्य सरकार ने संस्तुति की। इस बाबत भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय के 2018 के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनाँक 15.3.2019 को समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 717/26-3-2019 से पुनः केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण दे दिया है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने का कार्य किया जाये।

माननीय सभापति: श्री राजू बिष्ट – उपस्थित नहीं।

(बारह) हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी और एन.डी.आर.आई., करनाल में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की पहल के बारे में

श्री संजय भाटिया (करनाल): माननीय अध्यक्ष जी, आज दिल्ली और गुरुग्राम तेजी से विकासशील शहरों से इसकी निकटता के कारण, करनाल और पानीपत में सीएसआर व्यय हाल के दिनों में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इन फलते-फूलते शहरों में कुछ उच्चतम श्रेणी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल की जा रही है, जिसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल और जल संसाधनों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल, महिलाओं का सशक्तिकरण और सामाजिक, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देता रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र करनाल, पानीपत में विश्व स्तर के वस्त्र उत्पादों, चिकित्सा उपकरण, लिबर्टी फुटवियर और एनडीआरआई, पानीपत रिफाइनरी जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री व माननीय नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम मंत्री व कृषि मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि पानीपत रिफाइनरी में और करनाल एनडीआरआई में सीएसआर के माध्यम से महिला प्रशिक्षण केंद्र, ड्राइविंग स्कूल, महिला छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाए।

माननीय सभापति: श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया – उपस्थित नहीं।

(तेरह) सी.सी.आई.एल. कुरकुंता के त्वरित विनिवेश के बारे में

(अनुवाद)

डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा): सी.सी.आई.एल. कुरकुंता में अपना उत्पादन वर्ष 1998 में बंद कर दिया और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में विनिवेश किया गया। इस विनिवेश के कारण, 4,000 से 5,000 से अधिक परिवारों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा क्योंकि यह सीमेंट उद्योग ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत था।

2019 से इस मामले पर मेरे अनुसरण के बाद 26.11.2019 को माननीय भारी उद्योग मंत्री द्वारा सचिव स्तर की बैठक बुलाई गई, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में चूना पत्थर की खनन प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रश्न या आपत्ति मांगने के लिए प्रदूषण बोर्ड द्वारा सितंबर, 2020 में लगातार तीन दिनों तक सार्वजनिक सुनवाई की गई। अब, इस क्षेत्र के लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई दी कि कम-से-कम उनकी आजीविका के लिए जल्द ही कुछ शुरू होने वाला है। इस क्षेत्र में, 20 लाख टन क्षमता की सीमेंट फैक्ट्री शुरू करने के लिए चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में है और यह 100 से भी अधिक वर्षों तक चलेगा। यदि भारत सरकार द्वारा क्लिंकर प्रक्रिया को अनुमति दी जाती है, तो इससे आम लोगों के हित में बहुत बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2,000 से भी अधिक रोजगार सृजित होंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि क्लिंकर प्रक्रिया शुरू करने और सी.सी.आई.एल. कुरकुंता के विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दें।

(चौदह) राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में

[हिन्दी]

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): सभापति जी, आज देश में आवागमन के लिए जिस तेजी से नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण हो रहा है, वह प्रशंसनीय है।

मेरा संसदीय क्षेत्र राजसमंद पहाड़ी क्षेत्र के साथ विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है और अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विख्यात है। राजसमंद संसदीय क्षेत्र में आवागमन की सुगमता के लिए निम्नलिखित सड़कों का बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है।

1. वर्तमान में एनएच-158 जो कि मांडला भीलवाड़ा से रास तक स्वीकृत है और कार्य प्रगति पर है, उसे 40 किलोमीटर बढ़ाते हुए वाया रियाबडी, पादूकलां तक एनएच-89 से जोड़ा जाए।

2. एनएच-458 लाडनू से जस्साखेड़ा वाया मेड़ता कार्य हो चुका है परन्तु वन क्षेत्र की 32 किलोमीटर सड़क (रायपुर से जस्साखेड़ा) का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इस कार्य की डीपीआर बन रही है परन्तु अधिक विलम्ब हो रहा है। इसको शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

3. एनएच-158 को एनएच 89 से जोड़ने के लिए लाम्बिया से पुष्कर वाया कुड़की 58 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति एनएच घोषित की जाए। इसके लिए राज्य सरकार से अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजी जा चुकी है।

माननीय सभापति: श्री रवनीत सिंह – उपस्थित नहीं।

डॉ. मोहम्मद जावेद – उपस्थित नहीं।

श्री दीपक बैज – उपस्थित नहीं।

श्री ए.के.पी. चिनराज – उपस्थित नहीं।

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ जी।

(पंद्रह) वस्त्र पी.एल.आई. योजना में प्राकृतिक फाइबर को शामिल किए जाने के बारे में

(अनुवाद)

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ (काकीनाडा): केंद्र सरकार ने विगत वर्ष वस्त्र उद्योग क्षेत्र के उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट और निर्यात उत्पादों पर शुल्क या करों में छूट जैसे उपायों के साथ,इस कदम का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिल को कम करते हुए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल प्रदान करना, कौशल विकास और अन्य लाभ प्रदान करके कपड़ा उद्योग में एक नए युग की शुरुआत करना था।

योजना के तहत उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित फाइबर कपड़े, परिधान और तकनीकी वस्त्रों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पांच साल तक 10,683 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। हालाँकि, उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित फाइबर कपड़ों के निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास में, प्राकृतिक फाइबर जो पौधों, जानवरों और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होते हैं, और प्रकृति में पुन: प्रयोज्य और ज़ैविक रूप से नष्ट होने वाले होते हैं, नीति निर्माताओं द्वारा बड़े पैमाने पर अनदेखा कर दिया गया है।

सही नीतियों के माध्यम से प्राकृतिक फाइबर से नए, महंगे और आकर्षक वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं, जिससे किसानों को अधिक आमदनी हो सकती है।

विशेषकर हमारे राज्य में, पटनुलू खादी की बुनाई, जिससे गांधीजी प्रभावित हुए थे जब उन्होंने 1920 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र का दौरा किया था, को सफल उद्यम के रूप में बदला जा सकता है। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के लिए किसानों की आय को दोगुना करना

सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक फाइबर को शामिल करने के लिए कपड़ा पीएलआई योजना के प्रस्तावित चरण -दो के दायरे का विस्तार करना महत्वपूर्ण है।

(सोलह) अमृत 2.0 योजना (सीडब्ल्यूएपी) के अंतर्गत नगर जल कार्य योजना की स्वीकृति के बारे में

राजेंद्र धेड्या गावित (पालघर): महोदय, वसई विरार नगर निगम की 24 लाख की आबादी को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है और 372 एम.एल.डी. जल की मांग के मुकाबले, सभी स्रोतों से केवल 230 एम.एल.डी. जल उपलब्ध हो रहा है। नगर ने 225 एम.एल.डी. (एमएमआरडीएस सूर्या योजना से 165 एम.एल.डी. और खोलासुपाड़ा 1 और 2 से 60 एम.एल.डी.) की वितरण प्रणाली को बढ़ाने एवं उसको सुदृढ़ करने के लिए डीपीआर तैयार किया है। वसई विरार नगर निगम के तहत आने वाले 310 एम.एल.डी. सीवरेज में से, निगम की वर्तमान मलजल शोधन स्थापित क्षमता केवल 77 एम.एल.डी. है। ऐसे में 230 एम.एल.डी. एसटीपी क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता है। नगर में आवश्यक मलजल शोधन सुविधा नहीं होने के कारण राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल अथवा एमपीसीबी ने पहले ही निगम पर 113.58 करोड़ का जुर्माना लगाया है। उक्त समस्या से निपटने के लिए, निगम ने केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत नगर जल कार्य योजना (सीडब्ल्यूएपी) के लिए 1200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तुत की है।

मैं केंद्र सरकार से उक्त परियोजनाओं को स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं जिसके कारण जल आपूर्ति वितरण प्रणाली का विस्तार होगा और जो नालासोपारा (पूर्व और पश्चिम) के लिए भूमिगत सीवरेज प्रणाली भी प्रदान करेगी। उपरोक्त परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत कर निगम को अनुदान उपलब्ध कराया जाना है।

(सत्रह) नवोदय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में

(हिन्दी)

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): सभापति महोदय, देश के नवोदय विद्यालय ग्रामीण उम्मीदों को पंख लगा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की रोशनी फैलाने का काम नवोदय विद्यालयों ने करके दिखाया है। इस सफलता का श्रेय नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को जाता है, जो अपने परिवार और सामाजिक परिवेश को छोड़कर 24 घंटे कैम्पस में रहकर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इस महान सफलता के पीछे का दु:खद पहलू यह है कि ये शिक्षक विषम हालातों में काम करने वाले नवोदय विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को सीसीएस 1972 पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधा से वंचित रखा गया है, जबकि सीबीएसई, सैनिक स्कूल, रेलवे स्कूल, एनसीईआरटी, एनआईओएस, तिब्बतन स्कूल आदि के कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि 1 जनवरी, 2004 के पहले के नवोदय विद्यालय के समस्त कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए इस ओल्ड पेंशन की सुविधा बहाल की जाए।

———————

माननीय सभापति: श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी जी- उपस्थित नहीं।

माननीय सभापति: अब जीरो ऑवर का सबमिशन है। आज की सूची में यदि किसी का नाम रह गया हो, तो उसे अवसर दे दिया जाएगा।

श्री रितेश पाण्डेय जी।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदय, हमारे देश में युवाओं को बेरोजगारी को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में करीब 12 हजार नौकरियां स्टार्ट अप की दुनिया में खत्म कर दी गयी हैं, जिसमें ओला, ब्लिंक इट, बायजू, अन एकेडमी, वेदांतू, कार 24, मोबाइल प्रीमियर लीग, लीडो लर्निंग आदि कंपनियों ने हजारों लोगों को निकालने का काम किया है, जिसकी वजह से आगे यह भी माना जा रहा है कि इन्हीं स्टार्ट अप सेक्टर्स में करीब 50 हजार नौकरियों को खत्म कर दिया जाएगा।

मैं आपके माध्यम से यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो युवाओं और नौजवानों को नौकरी देने के लिए कानून बने हैं, उसमें जो री-स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट का एक क्लॉज डाला गया है, उसे ये कंपनियां रामबाण की तरह से अपने बिजनेसेज में इस्तेमाल कर रही हैं।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

वे इसका बहाना लेकर लोगों को निकालने का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से युवाओं का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में आ गया है। इस कारण से हजारों और लाखों परिवार अंधकार में चले गए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से यह निवेदन करता हूँ कि वे इस मामले को गंभीरता से देखने का काम करें। जहाँ हमारे देश में नए-नए यूनिकॉर्न बन रहे हैं और नौजवानों को कहा जाता है कि आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को और इम्प्रूव करिए ताकि आपको नौकरियाँ मिल सकें, वहाँ पर इन नौजवानों को हमें सुरक्षा देने की जरूरत है। उनको आपकी सुरक्षा की जरूरत है और उसके लिए आप श्रम एवं रोजगार मंत्री को निर्देशित कीजिए कि

इस मामले की गंभीरता में जाएं और इन नौजवानों को एक सुरक्षा कवच देने का काम करें ताकि उनकी नौकरियाँ बची रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया जी, आप अपना शून्यकाल वाला मैटर बोलिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चेक बाउंस के कारण हो रही ज्यादती की तरफ दिलाना चाहता हूँ। लोग खाली चेक दे देते हैं, अपने आप पैसे भरकर फिर उसे बाउंस कराकर कानूनी कार्रवाई करते हैं। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि जब तक यह प्रूफ न हो जाए कि जिसने चेक दिया, उसने कोई पैसा लिया या कोई माल लिया है तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। इसके बहुत ज्यादा केसेज पुलिस में चल रहे हैं और इसके कारण से लोग नाजायज तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस बारे में आवश्यक कार्रवाई जरूरी है कि चेक बाउंस के मामले में जो कानून बना हुआ है, जो नियम बना हुआ है, उस पर वापस विचार किया जाए और केवल वास्तव में माँगने वाले को जो दिए गए चेक हैं, उन्हीं पर कार्रवाई हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

<u>अपराह्न 01.02 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले- जारी

(अनुवाद)

माननीय सभापति: नियम 377 के अधीन मामले - श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया।

(अठारह) कोविड-19 महामारी के कारण जिन रेलगाड़ियों का प्रचालन बंद कर दिया गया था, उन्हें पुनः शुरू करने के बारे में

(हिन्दी)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): देश में रोज ट्रेनों में लाखों लोग यात्रा करते हैं। आम आदमी के लिए अपने काम को लेकर यात्रा का पैसेन्जर ट्रेन (लोकल ट्रेन) ही सस्ता व सुलभ साधन है। कोरोना काल से पहले पैसेन्जर ट्रेनों का ठहराव सभी स्टेशनों पर होता था परन्तु कोरोना के बाद रेल मंत्रालय की ठहराव को लेकर जीरो बेस्ड नीति के चलते अनेक स्टेशनों पर पैसेन्जर ट्रेनों का ठहराव बन्द हो गया। इससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा आये दिन क्षेत्र में पैसेन्जर ट्रेनों के ठहराव की मांग उठ रही है। मेरा सदन के माध्यम से रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि पैसेन्जर ट्रेन (लोकल ट्रेन) केवल लाभ के लिए नहीं, वरन् आमजन को आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भी चलाई जाती है। इसलिए पैसेन्जर ट्रेनों के मामले में नीति में परिवर्तन करके आमजन को राहत देते हुये पूर्व की भांति जिन स्टेशनों पर रूकती थी वहाँ पुनः ठहराव सुनिश्चित करायें।

(उन्नीस) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की जनता की बिजली संबंधी शिकायतों के निवारण के बारे में

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान विशेषतः माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान दिल्ली की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आदरणीय महोदय, दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है वहाँ मेरे संसदीय क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली में प्रतिदिन 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती होती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी व तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी के प्रयासों से शूटिंग रेंज रोड पर 3100 करोड़ की लागत से 400/220 किलो वाट के बिजलीघर के निर्माण से समस्या का समाधान हुआ है। परंतु बिजली के संबंध में दो समस्याएं और हैं। दिल्ली में वर्ष 2010 में 40.47 लाख उपभोक्ता थे जो बढ़कर अब 61.68 लाख हो गए हैं एवं 900 से 1000 करोड रुपए की कलेक्शन हर महीना वार होती है। बीएसईएस, यमुना पावर लिमिटेड में काफी अनियमितताएं हैं। मेरे क्षेत्र में महरौली विधानसभा में स्थित किशनगढ़, मसूदपुर डेरी, जे-जे बंधु कैंप, जय हिंद कैंप, राजोकरी, बीईएसई कैंप तथा छतरपुर विधानसभा में स्थित मांडी गांव, छतरपुर एक्सटेंशन, छतरपुर एनक्लेव, राजपुर खुर्द, राजपुर कॉलोनी में नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। कारण बताया जाता है कि लोड ज्यादा है और ट्रांसफार्मर फुक जाएगा। इसके साथ-साथ ओखला, सीलमपुर, मटिया महल, बल्लीमारान, मुस्तफाबाद में 80% बिजली चोरी होती है और कभी एकाध केस में चोरी पर रेड पड़ती है तो बिजली खपत के जो बिल बनते हैं उनकी 70 से 90 प्रतिशत पेनल्टी माफ कर दी जाती है जबकि इन्हीं परिस्थितियों में दिल्ली के अन्य इलाकों में बिजली के मिस यूज या थेफ्ट का मामला होने पर वहाँ 30 से 50 प्रतिशत तक ही छूट दी जाती है। यह भेदभाव क्यों? वहीं पुराने ट्रांसफार्मर भी नहीं बदले जाते हैं जबकि दिल्ली सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में कुल प्लान एक्सपेंडिचर बहुत घटा है। वर्ष 2011 में कुल प्लान एक्सपेंडिचर का 13.44% था जो अब वर्ष 2020-21 में मात्र 0.31% रह गया है। और

उल्टे पीपीएसी के नाम से 6 से 8 प्रतिशत दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। वह भी कहने के लिए 6% जबकि यह बढ़ोतरी डबल की गई है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के 4 कंपाउंड है। हर जगह 6% की बढ़ोतरी कर दी गई जो उपभोक्ताओं को 12% तक बढ़ी कीमत देनी पड़ रही है। आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय में संज्ञान लें एवं दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से कुछ समाधान निकालने का प्रयास करें।

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 1.06 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजकर पंद्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

———————

अपराह्न 2.18 बजे

लोक सभा सायं छह बजकर अठारह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री भर्तृहरि महताब *पीठासीन हुए*]

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022

[हिन्दी]

माननीय सभापति: आइटम नं.13, माननीय मंत्री जी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): सभापति महोदय, चूंकि आज सदस्य बहुत बड़ी संख्या में अनुपस्थित हैं और विपक्ष भी उपस्थित नहीं है तो मेरा यह सुझाव और निवेदन होगा, बाकी अंतिम निर्णय आपका है, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल अंटार्कटिका को ले कर है। पहली बार इस विषय पर चर्चा होने वाली है। इसमें बहुत से ऐसे पहलू हैं, जो सबके ध्यान में आएं, जानकारी रहे। उसका भी एक अपना महत्व है, तो क्या हम इसको आज न ले कर किसी और दिन चर्चा के लिए ले सकते हैं? बिल इंट्रोड्यूज़ हो चुका है और अब कंसीड्रेशन की स्टेज पर है।

माननीय सभापति: यह सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है। अगर इसमें अच्छी तरह से चर्चा हो जाए तो बढ़िया होगा। मेघवाल जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाउस की सहमति की आवश्यकता है। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि हाउस में अपोज़िशन न के बराबर है और हाउस का सुझाव मुझे चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से यह मंशा है कि **[अनुवाद]** विपक्ष के बिना विधेयक पारित नहीं होना चाहिए, **[हिन्दी]** तो इस हिसाब से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?

... *(व्यवधान)*

माननीय सभापति: चौधरी जी, आप बोलिए।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सरकार ने जो यह बिल पेश किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल में हम चाहते हैं कि ऑपोजीशन के लोग भी हों, सभी हों, जिससे सार्थक चर्चा हो सके। मेरा यह भी मानना है कि आज के इस महत्वपूर्ण बिल पर काँग्रेस के लोग और ऑपोजीशन के लोग जिस हिसाब से हाउस में नहीं हैं, उन्हें हाउस में रहना चाहिए था। यह हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम हाउस में रह कर इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करें, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि वे आज हाउस में नहीं हैं। अगर वे आज हाउस में होते तो इस पर चर्चा हो जाती।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, यह पार्लियामेंट डिबेट के लिए है, चर्चा के लिए है। यदि कोई भी अच्छा बिल, महत्वपूर्ण बिल, देश के हित में बिल, बिना ऑपोजीशन के सुझाव को सुने हुए पास होता है, जिस तरह आज काँग्रेस और ऑपोजीशन ने बॉयकॉट किया है, जब इतना महत्वपूर्ण बिल लगा हुआ था, तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार सभी चीज़ों पर चर्चा करना चाहती है और ऑपोजीशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि सरकार के सुझाव को मानकर इसको अगले दिन की चर्चा में डाल दिया जाए क्योंकि यह बिल अपने आप में, देश हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद] **माननीय सभापति:** मैं समझता हूं, सदन की मंशा इस विधेयक को

सभा की कार्यवाही कल, 22 जुलाई, 2022 के पूर्वाह्न 1100 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 2.22 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022/31 आषाढ़, 1944 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित